त्रमुसुधी----11

1. तक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पत्र्चात् नियोजक कहा गया ही) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त. को एरेसी विवरणियां भेजेगा और एरेसे लेखा रखेगा तथा निरक्षिण क्षे लिए एरेसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियांजक, एसे निर्राक्षण प्रभारों का प्रत्येक सास की समाणि के 15 दिन के भीतर संदाय करोगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त लोधनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विदरणियों का प्रस्तन किया जाना, डीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरक्षिण प्रभार का संदाय आदि भी ह⁴, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्मोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति सथा फर्मचारियों की धहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनूबाद स्थापना के सुचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई एंभा कर्मचारी जो कर्मचारी भेविष्य निधि का या उक्स अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना कौ भविष्य निधि का पहले से ही सवस्य है, उसको स्थापना में नियोजिन किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदसा के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज कररेगा और उसकी वालन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त कररेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाहे हैं, तो नियोजक सामुहिक तीमा स्कीम के अधीन कर्म-चारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करोगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामुहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकाल हो जे। उक्त स्कीम के अधीन अनजोग है।

7. सामूहिक बीमा रूकीम में किसी तात के होते हेए भी यदि किसी कर्मचारी की मत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि में कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जल वह उक्त स्वीम के अधीन होता लें, रिगोजक कर्म-चारी के विधिक वारिसा/साम निद्रीक्षतों को प्रतिकर के रूप में दोनों रुकियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामजिक लीमा क्लीम के उण्डन्धों में कोई भी संशोधन मम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आगुक्त के पूर्व अनुमादन के बिना सबी किएए एगयणा और उता कियी पंजाधन से कर्मचारियों के दिए पर प्रतिकाल प्रभाव एडरे की पंथातरुप नमें स्वर्भचारियों के दिए पर प्रतिकाल प्रभाव एडरे की पंथातरुप नमें स्वर्भचारियों को अपना दिष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तिएक्त अवसर दोगा । 9. यदि किसी कारणवञ्च स्थापना के कर्मचारी भागनीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीस के, जिस स्थापना 93ले अपना चुकी हैं अधीन नजीं रहु जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्रापा होने वाले लाग किसी रौति सं कम हो जाते है तो यह रख्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवंश नियोजक उस नियत तारीस से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत कर², प्रीमिथम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छटंट रवुद की जा सकरी है।

11. नियोजन ब्लारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यक्तिकम की दक्षा में उन सृद सदस्यों के नाम निवर्धितों था विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते. बीमा लाओं के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा।

12. उपन स्थापना को नम्बन्ध मों नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की सृत्य होने पर उसके हकदार नाम निदोंशियों/निधिक डारियों को तीमाकृत राषि का संवाय तत्परता से और प्रत्येक तजा में आरती। जीयन बीमा निगम से बीमाकृत राषि प्राप्त होने के एक साह के भीतर सुनिद्धित करेगा।

> बी. एन. साम कोन्द्रीय भविष्प निधि अग्रयक्त

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना वोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 1990

सं. सी-11013/1/88-रा.रा.क्षे. यो. वो.---राष्टीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2 2) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त इक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, कोन्द्रीय सरकार की प्वनिमोदन से निम्नलिखित विनिधम बनाता ह², जैसे :--

1. सघ शीर्षक एवं प्रारम्भ :---

(1) हन विनिषमों को सप्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंशदांधी भविष्ण निधि, 1990 कहा जाए ।

(2) यह दिनियम सरकारी राजपंत्र में प्रकाशित होने की नारीय से पंभावी होगें।

परिशाबाए⁺:

इन जिन्थिकों में दब तक प्रसंग में अन्थथा आदययक न हुए,

- (1) ''अधिनियम'' का अभिप्राय संख्तीय राजधानी क्षेत्र रोजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) से ह²;
- (?) '''लेका अधिकारी' से अभिप्राण उस अधिकारी से हो जिसे जगरकर्ता के संविध्य निष्ठि लेखा के अनुरक्षा/ रख-रखाव का कार्य सौंपा गया है;

- 1 38 4
 - (3) ''बोर्ड'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा-3 को उप-धारा (1) को अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से ह³;
 - (4) ''अध्यक्ष'' स्टे अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गोजना बोर्ड के अध्यक्ष से ह³;
 - (5) ''परिलब्धियों'' से अभिप्राय वेतन, अवकाश वेतन या निर्वाह अनुदान से हैं जैंगा कि विनियम में परिभाषिक है और इसमें सिफ्तांफित भी सम्मिलित होगा;
 - (अ) येतन को जल्फूडर मंहगाई वेसन, अलकाण वेसन या निर्थाह अनुदान, यदि ग्राह्य हो;
 - (त) कोर्ड द्वार कर्मचारियों को दिया गया कोर्ड भी देतन जो नियंत मासिक देतन द्वारा र आंका जाए; और
 - (स) वेतन के स्वरूप कोई भी पारिश्रमिक जे विदेश सेवा के सम्बंध में प्राप्त किया हो;
 - (5) ''परिवार'' से अभिप्रागः
 - (अ) प्रुष जमाकर्ता के सामने में. जमाकर्ता को पत्नी, माता-पिता, बच्चे, गवलिंग भाई, अविवाहित बहनें, और जमाकर्त्त के मत्क पुत्र की जिभवा तथा बच्चे, तथा अक्षां जमाकर्ता के मातापिता जीतत नहीं है पैतृक वादा-दादी !

बणते कि——

- यदि जमाकर्ता यह सिद्ध कर दोसा है कि उसकी पत्नी न्यायिक तौर से उससे अलग हो गई है या सम्प्रदाय जिससे वह सम्बंधित है की प्रथा अन-सार निर्वाह भत्ना की पाश्रता से तंचित हो गई है, तो उन मामलों के लिये जिनमों यह विनिग्रम लाग होने हैं, उसे जमाकर्ता के परिवार की सदस्य रही संसझा जाएगा उट पक थि जमाकर्ता बाह में लेखा अधिकारी को लिखित में सचित नहीं करता है कि उसे उसके एरिवार की सदस्य ही समक्षा जाए ।
- (ब) भहिला जमाकर्ता के सामले में, उसका पति, माला-पिता, तच्चे, तातालिंग भाई अविवाहित बहतें, उसके मस्क पत्र की विधवा और बच्चे, और उहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं हौ, पैतक तदा-दावी:

जइसिंकि——

गोह जमाक्तर्म लेखा अधिकारी को लिखित सेटिस द्वार अपने टीन को अपने परिवार की सदस्यता से बाहर रखने की इच्छा ध्यतन करनी बो, तो जसे उन मामलों के लिए जिनसे यह विनयस लाग तरेने हाँ, परियार का सदस्प रहीं समभग आएगा जब तक कि जमाकर्तन ताव में हुए प्रकार को सेटिस को लिखित में रद्द नहीं कर दोनी हो;

- (7) ''निकि'' से अभिष्ठार अंगदारी भविष्य (राष्ट्रीय सजभानी को जोडी सिंधि से हैं;
- (8) ''अल्फार'' से अभिप्राष्ट विनियमों द्यारा मान्य किसी भी प्रकार की अवकाश से है;

- (9) ''सदस्य सचिव'' से अभिप्राद बोर्ड के सदस्य सचिव से ह^a;
- (10) ''विनियम'' से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंद्यदायी निधि बिनियम, 1990 से हैं।
- (11) ''वर्ष'' से अभिप्राय वित्तीय वर्ष में है ।

इन विनियमों में प्रयुक्त कोई अन्य अभिव्यक्ति अथवा झक्द जिसे या तो भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 का नियम 19) या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विनियमन, 1986 मे परिभाषित किया गया हो, को उनमें परिभाषित संदर्भ में ही प्रयुक्त किया जाए ।

- 3. निधिकागठन
 - (1) निधि का रख-रखाव रज्ययों में किया जाएगा ।
 - (2) इन विनियमों के अन्तर्गत निधि में जमा की गई सभी राशियां बोर्ड के ''अंशदायी भयिष्य निधि (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) लेखा'' खाते में जमा की जाएगी । कोई भी धन राशि जिसका भूगतान इन विनियमों के अन्तर्गत देय होने के बाद 6 महिने के अंवर नहीं लिया जाता है तो उस राशि को उम वर्ध 31 मार्च के बाद ''डिपाजिट'' में अन्तरित कर दिया जाएगा और उसे सामान्य विनियमों के अन्तर्गत ''डिपाजिट'' से सम्बंधित माना जाएगा ।
- 4...पात्रता की शते :
 - (1) यह विनियम बोर्ड के प्रत्येक गैर-पैंशन योगय कर्म-चारी पर लाग होंगे ।
 - (2) बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी जिस पर यह विनियम लागू होते हैं इस निधि का अंशवाता होगा ।
 - (3) यदि बोर्ड का कोर्ड कर्मचारी जो इस निथि का सदम्य बना है पहले कोन्द्र या राज्य सरकार या किमी संगठन को किसी अन्य अंधदायी भविष्य निभि या अंधदायी भविष्य निधि का सदस्य था, तो अंधदायी भविष्य निधि में उसके अंधदान की राणि तथा सरकार के अंधदान की राणि या अंधदायी भविष्य निधि में उसके अंधदान की राणि या अंधदायी भविष्य निधि में उसके अंधदान की राणि, जैसी भी स्थिति हो, उस पर ब्याज रहित, उस सरकार या संगठन की की अन्मति से इस निधि में उसके खाले में अंतरित कर दी जाएगी।
- 5 नामांकन

(1) प्रत्येक जमाकर्ता अंशदायी श्विष्य निधि का सदस्य बनते समय, कार्यालय अध्यक्ष को माध्यम से, लोखा अधिकारी को नामां-कन भेजेगा, जिसमों उसकी मत्य होने की अवस्था में उस रागि, को देखे होने से पहले या देखे होने पर भगतान न की गई हो, जो उसके भविष्य निधि खाते में जमा है, को एक से अधिक ध्यकिनगीं को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करगा।

बगर्ने कि——

यदि नामांकन करते समय अमाकर्ता का परिवार हो, नो नामांकन ' उसके परिवार के सदस्य के सिवा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तिपो' के पक्ष में नहीं होगा ।

परन्तु यह भी कि---

यदि जमाकर्ता इस निधि का सदस्य बनने से पूर्व किसी अन्य भविष्य निधि सें अंशवान कर रहा था और उस निधि में उसके जमा धन को इस भविष्य निधि में अन्तरित कर दिया गया है तो उस निधि के लिये किया गया नामांकन इस विनियम के लिये फिगा गया नामांकन नमझा जाएगा जब तक कि वह हरा विनियम के जनसार नामांकन नहीं बरेता है ।

(2) यदि जमाकर्ता उप-विनियम (1) के अंतर्गत एफ से अधिक व्यक्तियों को नामित करता है तो उसे प्रस्थेक नामजद को दये राशि या भाग इस तरह स्पष्ट करना होगा जिससे उसके भविष्य निशि खात में जमा राशि किसी भी समय पूरी-पुरी बंट जाए ।

(3) प्रत्येक नामांकन प्रथम अनुसुची में दिए गए फार्म में किया जाएगा ।

(4) जमाकर्ता किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर अपने नामांछन को रख्द कर सकता है। जमाकर्त की एमे नोटिस के साथ या अलग से इस विनियम के उपबंधों को अनसार नया नामांकन भेजना होगा।

(5) जमाकर्ता नामांकन पत्र में निम्नसिखिरः उल्लेख कर सकता है---

- (अ) किसी विशिष्ट नामजद को सम्बन्ध में, कि जमाकर्ता की मृत्य से पूर्व नामजद की मृत्य होने पर उसको दिया गया अधिकार नामांकन में उल्लिसित एसे अन्य व्य-कित या व्यक्तियों को चला जाएगा, बझतें कि एसा अन्य व्यक्ति या एसे व्यक्ति जमाकर्ता के परिवार के अन्य सबस्य होंगे, यदि जमाकर्ता के परिवार में अन्य सबस्य हों जमाकर्ता जहां ऐसा अधिकार इस मंड के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को दता है. तो वह प्रत्येक व्यक्ति की देये राशि का भाग इस सरह से विनिर्दिष्ट करेगा कि नामजद को वी जाने वाली राशि पुरी उनमें बंट आए ।
- (ब) कि नामांकन, उसमें विनिर्दिष्ट किसी घटना के इटित होने की स्थिति में अवैध हो जाएगा :

बशते कि----

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता का परिवार न हो तो यह नामांकन में उल्लेख करोगा कि बाद में उसके परिवार के हो जाने पर यह नामांकन अवैध भाना जाएगा ।

परन्त् यह भी कि---

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता के परिवार में एक ही सदस्य है हो नामांकन पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि खण्ड (अ) के अन्तर्गत दूसरो नामजब को दिया गया अधिकार बाद में उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के हो जाने पर अवैध हो जाएगा ।

(6) किसी नामजब, जिसके बारे में उप-धिनियम-5 के संड-(अ) के अंतर्गत नामांकन में कोई विद्योष उपबंध नहीं किया गया हो, कि मुख्य के स्टन्द बाद या किसी घटना के घटने पर जिसके कारण उप-धिनियम-5 के संड-(व) या उसके उपबंधों के अनसरण में नामांकन अवैध हो जाता है, तो जमाकले लोखा अधिकारी को नामांकन को रदद करने के लिए लिखित नोटिस, इस विनियम के उपबंधों के अनुसरण में, नए किए गए नामांकन महित, भेजेगा ।

(7) जमाकर्ता दवारा किया गया प्रत्येक नामांकन और दिया गया प्रत्येक रददरूरण नोटिस, जब तक यह वैध रहगा, उसी दिन 4---19GI/90 रो प्रभावकाली होगा जिस दिन वह लेखा अधिकारी को प्राप्त होगा।

जमाकर्ताका खाता

प्रत्येके जमाकर्ला की नाम से एक लेखा खोला जाएगा, जिसमें निम्न यिवरण दिया जाएगा ।

- (1) जमाकर्ता का अंशदान ;
- (2) दिनियम-11 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा उसके साते में किया गया अंशदान;
- (3) विनियम-12 के अनुसार जमाकर्ता द्वारा जमा राघि पर क्याज;
- (4) विनियम-12 में उस्लिस्तितनुसार बोर्ड ववारा विग् गए अंशवान पर व्याज;
- (5) निधि मे लिया गया अग्रिम तथा धन निकासी आदि। अंझबान की शते एवं बर

7. अंग्रवान की झतें :

(1) जमाकर्ता जब ड्यूटी पर हो या बिदोश सेवा में हो. निधि में प्रतिमास अमा करेगा, किन्त् निलंबन को अवीध में नहीं। यदि अमाकर्ता निलंबन अवधि की समाप्ति पर बहाल हो जाता हो तो उसे यह विकल्प दिया जाएगा कि वह उस राणि, जो उस अदिधि (निलंबन अवधि) के लिए दोय बकाया आंग्रदान की राशि से अधिक न हो, को एक मश्त जमा करेगा किस्तों में।

(2) जमाकर्ता अपनी इच्छान्सार अपनी छट्टी की अवधि की धौरान जिसमें किसी प्रकार का अवकाश वेतन प्राप्य न हां या अवकाश वेतन, अर्ध-वेतन या अर्ध औसत वेतन को बराबर या उससे कम, प्राप्य हो, जमा न करे।

(3) जमाकर्ता को आव्काश पर जाने से पहले उप-विनियम (2) में उल्लिखित अवकाश के दौरान निधि में जमा न करने के अपने जुनाव को निम्नानुसार सुचित करना होगा ।

- (अ) यदि वह अपने वेतन बिलों का स्वयं आदान अधि~ कारी है, तो अवकाश पर जाने के बाद उसके प्रथम वेतन किल में अंशवान की कटौती न करके;
- (a) यदि यह अपने वेसन डिलों का स्वयं आदान अधिकारी नहीं है, तो अवकाश पर जाने से पहले अपने कार्या-लय अध्यक्ष को लिखित सचना दयारा

उचित रूप से व समय पर स्चना न भेजने पर यह समभग जाएगा कि जमाकर्रा जमा करना चाहता है।

जमाकर्ता दवारा इस उप-विनियम के अन्तर्गत दिए गए विकल्प की सुचना अस्तिम होगी ।

(4) जमाकर्ता जिसने विनियम-20 के अंतर्गत अभिदान की राशि और उस पर ब्याज की राशि वापस ले ली हो, तो वह एरेसी निकासी के बाद, जब तक कि वह कार्य पर वापस नहीं आ जाता है, निधि में जमा नहीं करेगा ।

(5) उप-विनिधम-1 में बनाई गई बात के होने पर भी जमा-कर्ता उस माम में निधि में जमा नहीं कररेगा जिसमें वह नौकरी छोडेगा, जब तक कि वह उक्त मास के प्रारम्भ में पहले सदस्य संचिव को उस माम के लिए अंशदान करने का अपना लिखित निकल्प नहीं भेजता हुने। (1) जमाकर्ता द्वारा अंशदान की राशि निम्नलिसित शर्लों के अधीन स्थयं निगत की आएगी :

- (अ) इसको पूर्ण रज्यदों में ही लिखा आएग;
- (a) बसाई गई कहेई भी राशि जमाकर्स की परिलब्धिमें के 8.33 प्रसिक्षण से कम और कहन परिलब्धिमें से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(2) उपर्युक्त उप-सिनियम (1) को प्रयोजन को लिए जमालती की परिसब्धियां निम्नलिखित हॉगी :

- (अ) उस जमाकर्धा के सामले में तो पिछले वर्ष की 3 ! मार्च को बोर्ड की सेवा में था, वह परिलब्धियां जिनका बहु उस तारीख को पत्र था;
- बदतीं कि——
 - (1) यदि जमाकर्सा उक्त तारीक्ष को अवकाश पर था और इस अवकाश के दौरान अंधदान न करनेको चुना था या उक्त तारक को निलंबिस था, तो उसकी परिलब्धियां यह परिलब्धियां होगी जिनका यह ड्यूटी पर वापस आने को पहले दिन पात्र था:
 - (2) यदि जमाकर्ता उक्त तारीस को भारत से डाहर प्रतिनिय्क्ति पर था या उस तारीस को छाट्टी पर था और छुट्टी पर ही चल रहा हो और एमी छट्टी के दौरान उसने अंशदान करने को चुना हो, तो उसकी परिलज्भियां वह परिलक्भियां होगी जिनका यह, यदि भारत में ही कार्यरत रहता, का पत्र होता;
 - (3) यदि जमाकर्ता उक्त तारीस के बाद प्रथम पार निधि का सवस्य बना ह^{*}, तो उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां हॉग्इ जिनका वह एेसी बाद की तारीस को पात्र था।
 - (ब) एसे जमाकर्ता के मामले में जो गत-वर्ष की 3! मार्च बोर्ड की सेवा में नहीं था, वह परिलब्धियां जिनका बह नौकरी के प्रथम दिन पात्र था या रुदि वह नौकरो के प्रथम दिन के बाद पहली बार निधि का सवस्य गता है, तो वह परिलब्धियां जिनका वह एसी बाद की तारीस को पात्र था;

परन्तु----

यदि जमाकर्ता की परिलक्षियां घटती-ढढ़सी प्रकृति को हैं सो उनका हिसाब इस तरह से लगाग जाएगा जिस तरह से अधाक्ष निर्वोध दौंगे ।

(3) जमाकर्ता प्रत्येक वर्ष निम्न प्रकार से अपने मासिक अंशदान की राशि नियत करने की सुचरा देगा :----

- (अ) ष्टदि वह गत-क्षर्य की 31 मार्च के ड्युटी पर था। को उस कटौती दवारा जे। वह इस संबंध में अपने वेतन बिल में उस महीने के लिए करवाना चाहता डैं;
- (ब) यदि वह गरे-खर्ष की 31 सार्च को अवकाश पर था और एमे अयकाश के दौरान अंशवान न करने को चना हो या उस दिन निलम्बित था, तो उस कटौती

द्वारा जो वह इस संबंध में ड्यूटी पर लौटने पर अपने प्रथम येतन डिल से करवाना चाहता है;

- (स) यदि वह, वर्थ के दौरान बोर्ड की सेवा मं पहली वार आया है, सो उस कटौरीी दुधारा जो वह इस भेंबंध में, अपने उस महीने के वेरेतन बिल से जिस महीने वह इस निष्टि का सदस्य बना है, करदाना चाहता है;
- (द) यदि गत-वर्षकी 31 मार्चको वह छुट्टीं पर था और अब भी. छुट्टी पर चल रहा हो और ऐसी छुट्टी के बौरान अंग्रदान करने को चुना हो तो उस कटौरीी द्वारा जो वह इस संबंध में उस महीरे के येतन से करवाना चाहता ह²;
- (य) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च को विदोश सेवा में था तो उस राशि ब्दारा जो उसने चालू वर्ष के अप्रैल मास के लिए राष्ट्रीरु राजधानी क्षेत्र थोजना बोर्ड निधि में अंशदान के कारण जमा की हो;
- (र) यदि उसकी परिलब्धियां उप-विनियम् (2) के उपबंध में दी गई, प्रकृति की है तो उस प्रकार से जैसा कि अध्यक्ष आवोदा द³।
- (4) इस प्रकार से नियत की गई अंशदान की राशि----
 - (अ) एक दर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार ही घटाई जाए;
 - (ब) एक वर्ष के दौरान दो बार ही बढ़ाई जाए;

या

पूर्थोक्तानुसार घटाई-बढ़ाई जाए; किन्तु इस प्रकार घटाई गई अंशवान की राशि उप-वितियम (1) में निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होगी ।

ब्रिशतें कि:----

यदि जमाकर्ता कर्लेंडर मास के दौरान अंशतः ड्यूटी पर हो और अंशतः बिना वेतन अवकाश या अर्ध-वेतन अवकाश या अर्ध औसत वेतन अवकाश पर हो तथा एसे अवकाश के दौरान अंशवान न करने को चुना हो तो अंश्वयान की राशि उपराक्तेत के अलावा यदि कोई हो, अवकाश सहित ड्यूटी के दिनों के औसत के समान्पातिक होगी।

9 विवरेश सेवा पर स्थानान्तरण या भारत से **बाहर** प्रतिनिय्**वित** :

जब कोई जमाकर्ता विदशे सेवा में स्थानान्तरित हो जाता है या प्रतिनिय्यिक पर भारत से बाहर भेजा जाता है तब भी भविष्य निधि के विनियम उस पर उसी तरह लागू हॉगे, यपि उसे विदशे सेवा पर स्थानान्तरित नहीं किया जाता गा प्रतिनिय्क्ति पर नहीं भेजा जाता ।

- 10. अंधवान की वसूली :
 - (1) जब एरिलब्भियां बोर्ड की निधि से भारत में या भारत से बाहर किसी प्राधिकृत संदितरण ठार्यालय से ली जा रही हों तो अंशवान तथा अग्रिमों हो मूल-धन व क्याज की दस्ली जमाकर्ता की परिलड्भियों से ही जाएगी।

(2) जब परिलब्धियों किसी अन्य स्रोत से ली जा रहीं हां, तो जमाकर्ता अपनी वेय राशि प्रतिमाह लेखा अधिकारी को भेजेगा।

परन्तुः ----

यदि जमाकर्ता केन्द्रीय/राज्य सरकार या किसी चिकाय जो केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित है, में प्रतिनियुक्ति पर है, उसके मामलं में अंशदान की वसूली वे उसका लेखा अधिकारी को अग्रप्रोषण उस सरकार या निकाय द्वारा किया जाएगा ।

11. बोर्ड दुवारा अंशदान :

(1) बोर्ड प्रस्थेक वर्षको 31 मार्चको प्रत्येक जमाकर्ता के साते में अंग्रदान करोगः

परन्तु≁–

यदि जमाकर्ता वर्षको दौरान नौकरी छाड़े दंता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो गत-वर्षकी समाप्ति और उसकी मूख्युकी तारीख के बीच की अवधि के लिए अंग्रेदान उसके सातें में जमा किया आएगा :

परन्तु गह भी कि——

उस अवैधि, जिसके लिए जमाकर्ता को विनियमों के अन्तर्गत निधि में जमा करने की अनुमति नहीं वी गई हो अथवा जमान किया हो, के लिए अंग्रदान दोय नहीं होरेगा ।

(2) बोर्ड द्वारा अंग्रदान, जमाकर्ता द्वारा डयूटो पर वर्ष के दौरान या अवधि में, जैसी भी स्थिति हां, ली गई परिलब्धियों का ऐसी प्रतिशत दर होगी जो कोन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियां को लिए सामान्य या विशेष आदोफ द्वारा निर्धारित की गई हो या की जाए ।

परन्तू⊶–

यदि भूल से अथवा अन्यथा जमाकर्सा दुवारा जमा किया गथा अंशवान ^{फ़}िनियम-8 के उप-थिनियम (1) के अन्सर्गत **क्षेय न्यूनसम अंशदान की राशि से कम हैं और टरि** कम दिये गए अंशवान की राशि उस पर व्य⊤ज सहित जमाकर्ता द्वारा उस अवधि जो विनियम-13 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूरीदाता सक्षम प्राधिकारी द्यारा विनिर्धिष्ट की जाए, के अन्दर जमा नहीं करता हु तो बोर्ड द्वारा उसके खाते में द्वीय अंधवान की राधि, जमार्क्ता बुवारा जम्ताकिए अंग्रेबान की राधि के बराबर या बोर्ड द्वारा सामान्यता देय राशि, जो भी कम हो, होंगी । हुआ व्याज क्षेड द्वारा निर्धारित समय में जमाकर्ता दुयारा नहीं दिया जाता सो बोर्ड दुयारा दिया जाने वाला अंग्रदान जमादर्फ़ा द्वारा जमा की गई। रुशि के बराबर या **बोर्ड द्वारा आम तौर पर दी जाने वाली राशि, इनमें से जे**त भी कम हाँ होगी जब तक कि बोर्ड किसी मामले विशेष में अन्यथा आ देश देता है।

(3) यदि कोई ज्माकर्राभारत से बाहर प्रतिनियुकिल् पर है तो इस विनियम के प्रयोजन के लिए बही परिलब्धियां जो वह भारत में कार्यरत रहने पर प्राप्त करता, डयूटी पर ली गई परिलब्धियां मानी जाएंगी।

(4) यीव जमाकर्सा छूट्टी के वौरान अंशवान करने को चूने, तो इस विनियम को प्रयोजन के लिए उसके छूट्टी वोतन को डयूटी पर ली गई परिलब्धियां माना आएगा । (5) यदि कोई जमाकर्ता मुऔत्तली को अवधि के लिए अंधदान का बकाया भूगतान करने को चूने, को वह परिलब्धियां या परिलढिधयों का भाग जो उस अवधि के लिए बहाल होने के पश्चात् दी जाएं, इस विनियम के प्रयोजन के लिए डयूटी पर ली गई परिलब्धियां मानी जाएंगी ।

(6) विदोश संवा की अवधि के लिए दोय कोई भी अंशवान को राशि, यदि वह विदेश निरोवता से यसूल नहीं की जाती है, तो वह बोर्ड द्यारा जमाकर्ता से बसूल की जाएगी।

(7) अंग्रदान की देखे राशि समीपतम पूरो रुपये में परिवर्तित कर दी जाएगी (50 पैसे को अगला रुपया गिना उत्तप्गा) ।

12 व्याज :

(1) बोर्ड जमाकर्ता के खाते में जमा राजि पर उस दर से ब्याज जमा कररेगा जो केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए समय-समय पर निर्धारित करनेगी।

(2) व्याज प्रत्येक वर्षकी 31 मार्चसे किस्न प्रकार से जमा किया जाएगा :---

> पिछले वर्धकी 31 मार्चको जमनकर्ता के साते में जमा राशि पर, उसमें से चालू वर्षके दौरान बापस ली गई राशि को घटाकर, 12 महीनों के लिए ब्याफ;

> चालू अर्थ के दौरान बापस ली गई रादि; पर चालू वर्ष की 1 अप्रैल में जिस माह राशि डापस ली गढ़ उससे पर्यवनी मास के अन्तिम दिन सक व्याज;

> धिछले वर्ष की 31 मार्च के पश्चात् जमाकर्ता के खाने में जमा की गई सभी राशियों पर, आमा करने की सारीख से चालू दर्भ को 31 मार्च तक, ब्याज;

> ब्याज की कुल राशि उसी प्रकार से निकटक्षम पूर्ण रुपये में परिवर्तित कर दी जाएगी जैसा कि विनियम-11 के उप-विनियम (7) में दिया गया ह**ै**;

परन्तु—–

जब जमाकर्ता के खाते में जमा राशि क्यें हरे गई हो तब इस विनियभ के अन्तर्गत उस पर ब्याज चालू वर्ष के आरम्भ या जमा करने की तारील, औसी भी स्थिति हो, से लेकर उस तारीख तक जिस तारील को उसके खाते में जमा राशि बोय ही जाती है, तक जमा किया जाएगा ।

(3) इस विनियम के प्रयोजन के लिए जमा करने की सारीख, परिलब्धियों से वसूलियां करने के मामले में, उस माह की पहली तारीख मानी जाएगी जिस माह तसूलियां की गई है और जमाकर्त द्धारा अग्रप्रेषण की गई राशियों के मामले में, उस माह की पहली तारीख मानी जाएगी जिस माह वह राशियां प्राप्त हों, यदि वह राशियां लेखा अधिकारी को उस माह की पांच तारीख से पहले प्राप्त हो जाएं, परन्तु यधि उस माह की पांच तारीख से पहले प्राप्त हो जाएं, परन्तु यधि उस माह की पांच तारीख मानी जाएगी :

षरन्तु–--

जहां जमाकर्ता के वेतन या छाट्टी वेतन या भक्ते लेने से जिलस्य हुआ। हो और परिणासस्वरूप निधि में उसके अंजवान में भी विलम्भ हुआ हो ती एसे अंगवान पर ब्याज इस बात, का भ्यान रखे थिना कि वेतन या छट्टटी वेतन वास्तव में किस माह में लिया गया है, उस माह से दंग होगा जिस भाह में विनियमों के अन्तर्गत जमाकर्ता का थेतन या छट्टटी वेतन देये था:

परन्त—–

21

यह और कि चिनियम-10 के उप-थिनियम (2) के परन्तुक के अनुसार भोजी गई राकि के मामले में जमा करने की तारीख उस माह की पहली तारीख मानी जाएगी यदि वह राणि लेखा अधिकारी को उस माह की 15 तारीख से पहले प्राप्त हो जाती है।

परन्तु यह और कि——

जहां किसी माह की परिलब्धियां उस माह के अन्तिम कार्य विवस को निकाली जाती ह⁴ और वितरित की जाती ह⁴ ती जमा करने की तारीख अंशवान वसूल करने के मामले मे⁻ अगल माह की पहली तारीख मानी जाएगी।

(4) विनियम-23 के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली किसी भी राषि के अतिरिक्त राषि पर ब्याज, जिस माह में भुगतान किया जाता है उससी पिछले माह के अन्त तक या जिस माह में एसी राषि देय हो जाती उसके परचात् छठे महीने के अन्त तक, इसमें से जो भी अवधि कम हो, उस व्यक्ति को देय होगा जिसको ऐसी राषि का भूगतान किया आएगा :

परन्तू∽–

उस तारोख, जो लंखा अधिकारी ब्वारा उस व्यक्ति (या उसके प्रतिनिधि) को नकद भुगतान करने होतू सूचित की जाती है, के पद्दधात् या यवि भुगतान चैक द्वारा किया जाता है तो उस तारीख जिस दिन उस व्यक्ति के पक्ष में चैक डाक में प्रेषित किया जाता है, के पद्दचात् किसी भी अवधि के लिए ब्लाज देय नहीं होगा :

परन्तु यह और कि---

जहां अमाकर्ता केन्द्र/राज्य सरकार या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत-वासी संगठन में प्रतिनियुक्ति पर हो तथा बाद में पिछली तारीख से उस निकाय या संगठन में समाहृत हो जाता है, जो जमाकर्ता के खाते में जमा राशि पर देय क्याज के परि-कलन के उद्दरेय के लिए, समाहृत होने के आदेश जारी होने की तारीख को जमाकर्ता के खाते में जमा राशि के दय होने की तारीख इस धर्त पर समफा जाएगा कि समाहृत होने की तारीख इस धर्त पर समफा जाएगा कि समाहृत होने की तारीख तक की अवधि के बौरान अंग्रदान के रूप में की तारीख तक की अवधि के बौरान अंग्रदान के रूप में के जातरी के उद्दरेथ के लिए ही निभि में अंग्रती केवल ब्याज के उद्दरेथ के लिए ही निभि में बंग्रवान माना जाएगा ।

- नोट : छः माह की अवैधि के पश्चात् बकाया निधि पर व्याज का भूगतान : ——
 - (अ) एक वर्षकी अवधि के लिए लेखा अधिकारी द्वारा; और
 - (ब) लोबाअधिकारी से उच्च अधिकारी द्वारा किसी भी अवधि के लिए;

स्ययं को इस बात से संतुष्ट करने के परवात् कि भुगतान में विलेब जमाकर्ता या उस व्यक्ति जिसे भुगतान किया जाना था के नियंत्रण से बाहर परिस्थियों के कारण हुआ था, प्राधिकृत किया जाएगा, तथा एसे प्रत्येक मामले में हुए प्रधासनिक विकंध की पूर्णतथा जांच की जाएगी, और यदि आवष्यकता हो तो कार्यवाही की जाएगी ।

(5) यदि काई जमाकर्ता लेखा अधिकारी को यह सुचित करता है कि वह व्याज नहीं लेना चाहता है तो उसके खाते में ब्याज की राशि जमा नहीं की जाएगी । परन्तु यदि बाद में वह व्याज की मांग करता है तो उस वर्ष की पहली अप्रैल से जिय वर्ष वह ब्याज की मांग करता है ब्याज की राशि अमा कर वी जाएगी ।

(6) उन राशियों, जो विनियम-19 यो 20 को अंतर्गत निधि में जमाकर्ता को खाते में वापस जमा की जाती है, पर ब्याज की परिकलना एंसी दर, जो इस विनियम को उप--विनियम. (1) को अंतर्गत उत्तरोत्तर निर्धारित की जाए और इस विनियम में उल्लिखित ढंग से की जाएगी।

(7) यदि यह पाया जाता है कि जमाकर्तान निकासी की तारीस को उसके साते में जमा धन से अधिक धन निकाला है, तो जमा राग्नि से अधिक निकाली गई राग्नि, चाहे थह अग्रिम के रूप से निकाली गई हो या निकासी के रूप में निकाली गई हों या निधि सं अंतिम भुगतान के रूप में निकाली गर्द्दो, उसे जमाकर्ताका एक मुद्दत राग्नि में ब्याज सहित वापसं अभा एेसान करने पर, जमाकर्ताकी परिलब्धियों करना होगा, में से इसकी एक मुश्त कटौती करके बसुल करने का आदश दिया जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली कुल राशि, जमाकर्ताको परिलब्धियां के आधे से अधिक है तो उसकी वस्ली मासिक किस्तों में उसके वेतन अर्थांश सं तब तक की जाएगी जब तक कि वह राशि ब्याज सहित वसूल नहीं हो जाती है। इस उप-विनियम के लिए व्याज की दर जे कि जमा राग्नि से अधिक निकाली गई राशि पर वसूल किया आएगा उप-विनियम (1) के अंतर्गत भविष्य निधि में बकाया राशि पर देये सामान्य ब्याज दर से 2¹ प्रतिशत ज्यादा होगा। अधि-निकासी पर वस्त किया गया क्याज कोर्ड के खाने में विशिष्ट उप-शीर्षक ''भविष्य निधि से अधि-निकासियों पर ब्याज-अन्य प्राप्तय'' में जमा कथा जाएगा ।

13. निथि से अग्रिम

(1) उपयुक्त मंजूरोवाता प्राधिकारी किसी भी जमाकर्ता को अग्रिम धन जो पूरे रुपयों में होगा तथा जमाकर्ता के तीन माह के वेतन या भविष्य निधि में उसके खाते में जमा धन के आधे, इसमें जो भी कम हो, से अधिक न हो, निम्नलिखित एक गा एक से अधिक उद्दरेखों के लिए मंजूर कर सकता है:---

- (अ) जमाकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तय में आश्वित किसी व्यक्ति की बीमारी, प्रसवा-वस्था या अपंगता से संबंधित व्यय, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, का भुगतान करने के लिए;
 - (अ) निम्नलिखित सामलों में जमाकर्ता उसके परियार के किसी सबस्य या उस पर थास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की उच्च शिक्षा, जहां आधरयक हो यात्रा व्यय सहित, पर व्यय की पूर्ति करने के लिए; नामत :
 - (1) माध्यमिक स्कूल स्तर के बाद भारत सं बाहर चौक्षणिक, झकनीकी, व्याक्सायिक का व्यापारिक शिक्षा के लिए; और

(2) माध्यमिक स्कूल स्तर के परचाल भारत में किसी भी आयुर्विज्ञान, इजीनियरी या अन्य तकनीकी या विकल्ज पाठ्यकम के लिए; बराह[×] कि अध्ययन का पाठ्यकम 3 दर्प से कम न हों।

- (स) जमाकर्ता ही हीसिंधत के अनुसार अनिवार्य खर्चों की अदायगी के लिए जो रुगाई, वियाह, अंतिम संस्कार या समारोह पर रोति-रियाज के अनुसार जमाकर्म को सर्च करने पडते ह⁴;
- (द) जमाकर्ता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तव में किसी आश्चित के विरुद्ध या द्वारा चलाई गई कानूनी कार्यबाई का व्यय तहन करने के लिए । इस मामले में उपलब्ध यह अग्रिम, इसी प्रयोजन के लिए बोर्ड के किसी अन्य सोत से ग्राह्य किसी भी अग्रिम के अतिरिक्त होगा;
- (थ) जमाकर्ता द्वारा अपने बचाझ के खर्च को वहन करने के लिए, जहां वह कथित कार्यालय कदाचरण की जांच-पड़ताल में अपना बचाव करने के लिए वकील करता ह^{*};
- (र) प्लाट या अपनी रिहाथिस के लिए मकान या फ्लैट बनानं या दिल्ली विकास प्राधिकरण या राज्य अगवास वोर्ड या आवास निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवंटित प्लाट या फ्लैट की छीमस अदा करने का रूर्घा दहने करने के लिए।

(2) अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों मां किसी जमाकर्ता को अग्रिम मंजूर कर सफता है गदि वह इस बात से संतृष्ट हो जाए कि संबंधित जमाकर्ता को उप-विनियम (1) में बताए गए कारणों के अलावा जन्म कारणों के लिए अग्रिम की आवश्यकता है।

(3) किसी भी जमाकर्ता का लिस्ति विशेष कारणों के अलावा, अन्य कारणों के लिए उप-विनियम (1) में निर्धारित सीमा से अधिक या जब रक्ष किसी पिछले अग्रिम की अंतिम किस्त वापस नहीं की ज्वाती है, कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा :

बन्नत²----

अग्निम की राशि किसी भी हालत में निधि में जमा-कर्ता के खाते में जमा अंशदान तथा उस पर ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगी।

(4) जब उप-विनियम (3) के अंतर्गत पिछलं अग्रिम की अंतिम किस्त को वसूली किए बिना ही अग्रिम मंजुर कर दिया जाए तो पहले अग्रिम की वसूल न की गई बकाया राशि को अत्र मंजूर किए गए अग्रिम में जोड दिया जाएगा तथा वसूली की धिस्तों को ममेकित राशि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(5) अग्रिस संजूर करने को बाद, उन मामलों में जहने अंतिम भुगतान के लिए आवंदन विनियम-23 के उप-विनियम (3) के खंड-(2) के अंतर्गत लेखा अधिकारी को भेजा गया था, राजि लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी।

- नोट 1 : इस विनियम के उद्ददेश्य के लिए वेतन में वंतन, महांगाई भक्ता जहां ग्राह्म्य हारे सीम्मलित होंगे ।
- मोट 2 : जमाकर्गा को विनियम-13 के उप-विनियम (1) की मद (ब) के अंतर्गत प्रत्येक छः मास में एक बार अभिन लेने की अनुमसि वीं जाएगी।

14. अग्रिम की वसूली

(1) जमाकर्ता से अफ्रिंस की दसूली उतनी हो बराबर मास्कि किस्ता म की जाएगी जैसाकि मंजूरी दाता प्राधिकारी जिदश वो; परन्तु एंगी किस्तों की संख्या, जब तक कि जमाकर्ता स्वयं एरेसा न चाह, 12 से कम और 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विद्योध मामलों में उहां विनियम-13 के उप विनियम (3) के अतर्गत अग्रिस की राशि जमाकर्ता के तीन मास के वंतन से अधिक हो, तो मजुरीदाता प्राधिकारी 24 से अधिक किस्तों निर्धारित कर सकता ही परन्तु किसी भी हालक में यह 36 से अधिक नहीं होंगी। उमाकर्ता अपनी इच्छानुसार निर्धारिक किस्तों से कम किस्तों में भी अदायगी कर सकता ही । प्रत्येक किस्त पूरी रज्यों में होगी। एंगी किस्तों के निर्धारण के लिए, यदि आदरयक हो, अग्रिम की गोश प्रटाई-बढ़ाई जा सकती ही ।

(2) बसूली उसी दरीक से की जाएगी जैसाकि विनिगम-10 में अंग्रदान वसूली के लिए निर्धारित किया गया है और यह अग्रिम लंने के माह के अनुवर्ती माह के गेतन से आरम्भ होगी। जब जमाकर्ता निर्देह अनुवान ले रहा हो या कर्लेंडर मास मं दस दिन या उससे अधिक दिन की छटुट्टी पर हो जिसमें गा तो कोई अवकाश बेतन प्राप्त न हो या अवकाश येतन, अर्ध येतन या अर्ध और स यंसन के बराबर या उससे कम प्राप्य हो, जैसा भी स्थिति हो, जमाकर्ता की सहमणि के बिना वसूली नहीं की जाएगी जमाकर्ता के लिखित अनुरोध पर उसको मंजूर किए गए अग्रिम बेतन की बसूली के दारान मंजूरीदाता प्राण्धकारी द्वारा अग्रिम की बसूली स्थगित की जा सकती है।

(3) यदि किसी जमाकर्सा को अग्रिम मंजूर किया गया हू और यह उसके द्वारा ले लिया गया है और बाद मं वसूली पूरी होने से पहले हो नामंजूर कर दिया जाता है तो लिए गए अग्रिम को पूरी राशि या बकाया राशि जमाब्दा द्वारा अबिलंब निधि में वाप्स जमा की जाएगी, जिसके न करने पर, लेखा अधि-कारी उसकी परिलब्धियों में से एक मुझ्ल या मासिक किस्ता सें, जो 12 से अधिक न हों, जैसा भी विनियम-13 को उप-विनियम (3) के अंतर्गत दिशेष कारणों में लिए अग्रिम मंजूरी-दाता सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदोध दिया जाए, कटाती करकी वसूल करने के आदोध देगा :

परन्त्—

इस प्रकार के अग्रिम को नामंजूर करने से पहल जमा-कर्ता को यह अवसर दिया जाएगा कि वह इस संदर्भा के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर मंजूरदाता प्राभिकारी को लिखित में स्पष्ट करो कि अग्रिम की वस्त्वी क्यों न आरम्भ की जाए और यदि जमाकर्ता उक्त 15 दिन के भीतर, अपना स्पष्टकिरण प्रस्तुत कर देता है तो उसे निर्णय होतू अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, और यदि जमा-कर्ता उक्त समय के भीतर स्पष्टकिरण प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो अग्रिम की वसूनी इस उप-विनिधम मं विहित रीति से आरम्भ कर दी जाएगी।

(4) इस विनियम के अंतर्गत की गई। वसूलियां निधि में जमाकर्ता के खात में जमा कर दी जाएंगी।

15. अग्रिम का गलत प्रयोग

इन नियमों में बताई गई किसी बात के होने पर भी, यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी को इस बात का कोई संबंह हो जाता है कि दिनियम-13 के अंदर्गत निधि से अग्रिस के रूप में लिया गया धन मंजूर किए गए प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन पर खर्च किया गया है, तो वह अपने संबंध को करणों को जमा-कर्ता को सूचित करेगा और उससे एसी सूचना को प्राप्त होते को 15 दिन के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण मांगेगा कि क्या अहिन की राशि उसी प्रयोजन पर खर्च को गई है जिसके लिए मंजूर की गई थी। यदि मंजूरदिता प्राधिकारी, जमाकर्ता द्वारा उकत 15 दिन के भीतर दिए गए स्पष्टोकरण से संतुष्ट नहीं होता है तो वह जमाकर्त को इस अग्रिम की राशि को तूरन्त निधि में जमा करने का निवेश देगा। एसा न करने पर जमाकर्ता, चाहे यह अवकाश पर ही हो, उसकी परिलिध्यों से एक म्यत कटांसी करके वसूल करन का आदोश दोगा। यदि दसूल की जाने वाली काल राशि जमाकर्ता की परिलिध्यों आधे से अधिक है तो वसूली उसकी परिलिध्यों के अर्थांश सं मासिक किल्सों में तत तक की जएगी जब तक की पूरी राशि वसूल नहीं हो जाए।

- नोट : इस विनियम में शब्द ''णरिलन्धिणं'' में निर्वाह अनुदान सम्मिलित नहीं किया जाता है।
- 16. सिंधि में धन की निकासी

(1) इसमें विनिर्चिष्ट शतीं के अधीन धन निकासी की मंजूरी विनियम-13 के उप-विनियम (3) के अंतर्गत विशेष कारणों के लिए अफ्रिम मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा--

- (क) जमाकर्ता द्वारा 20 वर्ष की सेवा (सेवा व्यवधान की अवधि यदि कोई हो, को मिला कर) पूर्ण करन के बाद दा अवर्रन पर संदा निवृत्त होने की तारीख गं पहले 10 वर्ष की अवधि को भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, निधि में जमाकर्ता को खाते में जमा अंग्रदान की रादि तथा उस पर व्याज की राग्नि म से निम्नलिसित में से किसी एक या एक से अधिक कारणों के लिए मंजूरी दी जाएगी, नामत. ----
 - (अ) निम्नलिखित मामलों में जमाकर्ता या उसके बच्चे की उच्च शिक्षा, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित का व्यय वहन करने के लिए, जैसे :---
 - (1) माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चात् भारत के बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या व्यापारिक पाठ्यकम के लिए; और
 - (2) माध्यमिक विक्षा स्तर के पश्चात् भारत मं किसी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए;
 - (ब) जमाकर्ता या उसके पुत्रों या पुत्रियों या उस पर धास्तव में आधित किसी अन्य महिता संबंधी की सगाई:/विवाह समारोह के ध्यय को वहन करने के लिए;
- (स) जमाकर्त्त द्वारा 15 दर्ष की सेवा (रुंवा में व्यवधान धास्तव में आधित व्यक्ति की बिमारी, जहां आवक्यक हो यात्रा व्यय सहित, का व्यय वहन करने के लिए।
- (ग) जमाकर्सा द्वारा 15 वर्ष की सेवा (संवा में व्यवधान की अवधि यदि कोई हो, को मिलाकर) पुरो करने के बाद या अवर्तन पर सेवा निवृत्त होने की तारीख से पहुले 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके खाते में जमा राशि

से निम्नलिखित में से किसी एक गा एक से आधिक प्रयोजनों के लिए दी जाएगी, नामत :----

- (अ) अपनी रिहागश के लिए गृह स्थल की कीमल सहित, उपयुष्क स्कान लेने या बनाने के लिए या बना-बनाया फ्लैट लेने के लिए;
- (a) अपनी रिहायश के लिए उपयुक्त मकान बनाने के लिए या लेने के लिए रा बना-बनाया फ्लैंट ढेंके के लिए स्पप्ट रूप में लिए गए ऋष्ण की बकाया राशि को वापरू करने के लिए;
- (स) अपनी रिखायक के लिए सकान बनाने होतु गृह-स्थल खरीवने के लिए का इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण की बकाया राशि को वापस करने के लिए;
- (द) जमाकर्ता द्वारा पहले से उपींजत फ्लैट या मकान को पूर्वानिर्माण था उसमों परिवर्धन-परिवर्तन करने को लिए;
- (य) जमाकर्त्ता द्वारा कार्य-स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर पैतृक मकान या बोर्ड से लिए गए ऋषा की सहायता से बनाए गए मकान को मरम्मत या परिवर्धन-परिवर्तन या अनुरक्षण के लिए;
- (ग) उपयुक्त संड (म) के अंतर्गत लिए गए गृह-स्थल पर गृह निर्माण के लिए।
- (ग) उमालर्क्त के मेवा-सिक्त हरोनेकी तारीक से पहले 6 महीके की भीतर, निधि में उसके काले में जमा धन मे, कृषि भूमि या व्यापार परिसर या बोनों उपार्जित करने के लिए वी जाएगी;
- (ष) वित्तीय वर्ष के दौरान एक वार जमाकर्ता द्वारा स्व-पोषी वित्त ध्यवस्था एवं अंशदान पर आधारित बोर्ड को ऊर्मचारियों की लिए सामूहिक बीमा योजना में एक बर्ष में विए गए अंशदान की राणि के बराबर बो जाएगी।
- नोट 1 : जमाकर्ता जिसनं शहरी विकास मंत्रालय या बोर्ड की गृह निर्माण उद्दर्भय के लिए अग्रिम थोजना के अंह-गंत अग्रिम का लाभ उठाया हो या उसे बोर्ड के सूतेतों से इस संबंध के लोई मवद दी गई हो, हह संड (स) के उप-संड (अ). (स), (द) और (र) के अंतर्गत इनमें त्रिनिदिष्ट उद्वरेथों के लिए और विनियस-17 के उप-विनियम (1) के उपबंध में विनिदिष्ट सीमा तक उपयुंक्त योजना के अंतर्गत लिए गए ऋण की डदायगी के उद्देध्य को लिए भी अंतिम निमासी की मंजूरी का पात्र होगा।

यदि जमार्क्सा के पास पैसूक मकान है या अपने कार्य स्थल के अलावा किसी अन्य जगह पर बोर्ड से ली गई ऋण सहायता से मकान बनाया है, वह अपने कार्य स्थल में गृह स्थल खरीदन या दूसरा मकान बनाने या बना-धनाया फ्लैट अजित करने के लिए खंड (रू) के उप-खंड (अ), (स) और (र) के अंतर्गत अंतिम निकासी का पात्र होगा।

नोट 2 : खण्ड (स) के उप-सण्ड (अ), (व), (य) या (र) के अंतर्गत जमाकर्ता को निकासी की मंजूरी तभी वी

1390

जाएगी जब उसने बनाए आने बाले मकान या मकान में किए जाने वाले परिवर्धन-परिवर्सन की योजना, उस क्षेत्र छहां वह मकान-स्थल या मकान स्थित हैं-की स्थानीथ नगरपालिका से विधिवत् अनुसोदित, प्रस्तूत को हो और कोल उन्हों मामलों में जहां योजना अनुसोदित करवा ली गई हैं।

- नोट 3 : खंड (रू) के उप-खंड (ब) के अंतर्गत मंजूर की रर्ड रादिः जमाकर्ता के खाते में, उपखंड (अ) के अंतर्गत पिछली निकासी की राघि को मिलाकर और पिछली निकासी की राघि को कम करके, आधेदन की तारीक को बकाया राघि के तीन-चौथाई से अधिक नहीं होगी। फामूर्ला जो अपनाया जाएगा : (उस तारीख को बकाया जमा + (जमा वियावास्पद मकान के लिए ली गई निकासी) – (धटा) पिछली निकासी (निकासियों) की राघि, कर तीन-चौथाई।
- नोट 4 : खंड (रू) थे उप-खंड (अ) और (द) के अंतर्गत निकासी की मंजूरी उन मामलों में भी दी जाएगी जहां गृह-स्थल गा मकान जमाकर्ता की परनी या परि के नाम हैं ; बबर्त कि जमाकर्ता द्वारा अंघदायी भविष्य निधि में जमा राधि को प्राप्त करने के लिए दिए गए नामांकन में प्रथम मामित हो।
- नोट 5 : इस विनियम के अंतर्गत एक उद्देश्य के लिए निकासी की मंजूरीं एक बार ही वी जाएगी । लेकिन भिन्न बच्चों की शावी या शिक्षा अथवा भिन्न अत्रसरों पर अस्वस्थता, अथवा मकान या फ्लैंट में परिवर्धन-परिवर्तन जिसके लिए उस क्षेत्र जहां मकान स्थिप ही की स्थानीय नगरपालिका द्वारा अनुमोवित योजना दी गई हो, को एक ही उद्देश्य नहीं माना जाएगा। संड (स) के उपसंड (अ) या (र) के अंतर्गत एक ही मकान को पूरा करने के लिए, बूसरी बार या उसके उपरान्त निकासी की मंजूरी नोट-3 में निर्धारित सीमा सक ही वी जाएगी।
- नोट 6 : यदि विनियम-12 को अंतर्गत उसी उद्दवेच्य और उसी समय अग्रिम मंजूर किया जा रहा है तो इस विनियम के अंतर्गत निकासी की मंजुरी नहीं दी जाएगी।

(2) जब जमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी को अपने साले में जमा राणि केंबारे में, अभी हाल ही की बंग्रावायी भविष्य निधि सेखे की उपलब्ध विवरणी से, बाद में जमा अंझदान के प्रमाण सहित, संतष्ट करने की स्थिति में हो, तो सक्षम प्राधिकारी निर्धारित सीमाओं के भीतर. वापिस किए जाने योग्य अग्रिम (Refundable advance) को तरह ही, धन निकालने की मंजूरी व सकता है। एसा करते समय सक्षम प्राधिकारी अमाकर्ता को c हले मंजर किए गए प्रत्यपीणीय अग्रिम (Refund: ble (dvan c) या धन-निकासी को भी आान में रहेगा। तथापि, जहां जमा-कही सक्षम प्राधिकारी को अपने साते में जमा राशि के बार में संतुष्ट करने की स्थिति में न हो या जहां आवोदित धन निकासी (Withdrawal app]ied for) की ग्राह्मयता के बारे में संदेह, हो, सक्षम प्राधिकारी द्यारा आवेदित धन-निकासी की ग्राह्यता के निर्धारण के उद्देश्य को लिए लेखा अधिकारी से जमाकर्ता के साते में जमा रादि का प्रमाण मांगा जाएगा। धन-निकासी की मंजुरी में मुख्यतया अंधदायी भविष्य निधि लेखा की संख्या सथा लेखे का हिसाब रखने वाले सेडा अधिकारी का विवरण दिया आए तथा मंजूरी की प्रति हमेक्षा उस लेखा अधिकारी को प्रीषत

को जाए । मंजूरी वाता प्राधिकारी की यह मनिष्मित करने की जिस्मेदारी होगा कि मंजूर को रहं धन-जिकासी की लेखा अधिकारी द्वारा जमाकर्ता की लेखा-बही में दर्ज कर लिया रा है। यदि लेखा अधिकारी यह सुचित करता है कि मंदर की गई राधि जमाकर्ता के खाते में जमा राणि से अधिक है या अन्यथा ग्राह्य नहीं है, तो जमाकर्ता द्वारा निकाली गई राधि उसे स्टन्स एकम्दत निधि से वापस जसा करनी होगी और एसा क करने पर, मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा उस राणि को उसकी एरिलब्धियों से एकम्दत या फिर उतनी मासिक किस्तों में जितनी अध्यक्ष द्वारा निधीरित की जाए, में वसूल करने के आदेश देगा।

(3) धन-निकासी की संजूरी के गाद, उन मामलों में जहां अंतिम भुगसान के लिए आवदन विनियम~23 के उप-विनियम (3) के खण्ड (1) के अन्दर्गत लेखा अधिकारी को प्रेषित किया गया हो, राधि विक्त एवं लेखा अधिकारी को प्राधिकार पर हो निकाली जाएगी।

17 धन निकासी की शर्ते

(1) जसाकर्त द्वारा विनियम-16 में दिए गए एक या एक से अधिक प्रयोजनों को लिए किसी भी एक समय में निधि में उसके खाते में जमा धन से निकाली गई कोई भी राशि सामान्यता निधि में उसके खाते में जमा अंग्रदान और उस पर व्याज की राकम के 2 से या जमाकर्ता के छः महनि के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। फिर भी, मंजूरीवाता प्राधि-कारी इस सीमा से अधिक, निधि में जमाकर्ता के खाते में जंज-दान की रकम और उस पर व्याज की रकम के दे तक की मंजूरी, निम्नांकित पर उचित ध्यान बते हुए, दे सकता ही:

- (1) उद्व भ्य जिसके लिए राघि निकाली जा रही है;
- (2) जमाकर्ता की हरिसयत; और
- (3) निधि में आर्माकर्ता छे. साते में अंग्रदान और उस गर व्याज की रकम :

परन्त्—

किसी भी मामले में, विनिगम-16 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में विनिदिष्ट प्रयोजनों के लिए धन-निकासी की अधिकत्तम रकम शहरी विकास मंत्रालय या बोर्ड की गह निर्माण उद्ददेख के लिए अग्रिम मंजर किए जाने की योजना के नियम-2(ए) और 3(बी) में समय-समय पर निर्धारित अधिकनम सीमा से अधिक नहीं होगी।

परन्त—

यदि जमाकर्ता ने शहरी विकास मंत्रालग या बोर्ड को गह निर्माण के लिए अग्रिम योजना का लाभ उठारा है या इन संबंध में बोर्ड के किसी अन्य सोस से कोर्ड सहायता मंजरी की गर्ड हो. तो इस उप-विनियम के अंतर्गत निकाली गर्ड राजि, पवोकत येजना के अंतर्गत लिए गए अग्रिम या बोर्ड के किसी अन्य सोस मे ली गर्ड सहायता सहित, पूर्वीक्त योजना के नियम 2(ए) और २(धी) के अंतर्गत समय-ससय पर स्थि-रिक सीमा से अधिक नहीं होगी।

नोउ 1 : विनियम-16 के उप-छिनियम (1) के खंड (क) के उप-खंड (अ) के अंसर्गत मंजूर की गई निकासी राशि

[भाग III----खण्ड 4

किस्तों में निकाली जाए, जिनकी संख्या, मंजुरी को तारीख में 12 कोलेण्डर माम की अक्षधि में, चार से अधिक नहीं होगी।

नोट 2 : उन मामलों जहां जमाकर्रा को खरीबरेगए गृह-स्थल रा मकान या फ्लैंट, अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण या राज्य आवास बोर्ड या आवास निर्माण सहकारी समिति द्वारा बनाए गए मकान या फ्लैंट का भुगतान किस्तों में करना है, तो उसे जब भी एसी किस्त के भुगतान के लिए कहा जाए, निकासी की अनुमति दी जाएगी।

(2) जिस जमाकर्ता को विनियम-16 के अन्तर्गत निधि में धन-निकासी की अनुमति वी गई हो वह मंजूरीपाना प्राधिकारी को उपयुक्स समय के अन्दर, जैसा कि उस प्राधिकारी ब्वारा निर्धारित किया जाए, इस बाल से संतष्ट करेगा कि धन का उपयोग उसी उद्ददेय के लिए किया गया है जिस उद्ददेय के लिए निकाला गया है और यदि वह एसे करने में अरफल रहता है तो एसी निकाली गई सारी रकम वा उसके उतनी ही रकम, जिसके लिए उस उद्ददेय के लिए आवेधन नहीं किया गया हो जिसके लिए उस उद्ददेय के लिए आवेधन नहीं किया गया हो जिसके लिए उस उद्ददेय के लिए आवेधन नहीं किया गया हो जिसके लिए उस उद्ददेय के लिए अनकर्ता द्वारा निधि में एक मुक्त वापस जमा की जाएगी और एसा न करने पर, मंजूरीदाता प्राधिकारी इस राशि को उसकी परिलज्धियों में से या तो एक मुक्त या उतनी किस्तों में, जितनी अध्यक्ष नियत करों, में वसूल करने के आदरेश देगा। परन्तु--

इस उप-दिनियम के अन्तर्गत निकाली रहे रकम को वस्ती आरम्भ करने से पहले, जमाकर्ता को मूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करने का उलसर दिया जाएगा कि निकाली गई रकम की वसूली क्यों न की जाए; और यदि मंजूरीकर्ता प्राधिकारी स्पष्टीकरण से संस्प्ट न हो या जमाकर्ता द्वारा उक्त 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण महीं दिया जाता है, तो मंजूरीकर्ता प्राधिकारों इस उप-धिनियम में निर्धारित अन्सार वसूली प्रारम्भ कर दोगा ।

- (3) (34) जिस जमाकर्ता को विनियम-16 के उप-विनियम (1) के खण्ड (38) के उप-खण्ड (39), (ब) या (स) के अन्तर्गत, निधि में उनके खाते में अंधवान और उस पर व्याज की जमा राशि मे से धन निकालने की अन्मति दीं गई हो तो वह एरेसी निकाली गई राशि से बनाए गए या उपाजित किए गए मफान या खरीदे गए गड़-स्थल का कब्जा, चाहरे विक्री, रहेन (बोर्ड के पक्ष में रहेन करने के अलावा), उपहार, अदली-धदली या अन्यथा, अध्यक्ष की पूर्वान्मति के बिना नहीं छोड़ेगा । परस्तू एरेसी अन्मति निम्नतिगिष्ण को लिए आवश्यक नहीं होगी :---
 - (1) मकान या मकान-स्थल जो किसी अवीध के लिए, जो लीन वर्ष मे अधिक नहीं हो, पट्टे पर दिया जा रहा हो,
 - या
 - (2) यह आवास बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्तामिरव या नियंत्रित किसी अन्ट निकार, फी तये सकान के निर्माण या वर्त्तमान मकान से परिवर्षन एवं

परिवर्<mark>शन को</mark> लिए ऋरण अग्निम व⁷नी है, कों पक्ष में रोहन किया जा रहा हो ।

- (व) जमाकर्ता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय-की घोषणा करोगा कि मकान या मकान-स्थल, जैसा भी मामला हो, उसके कब्जे में ही है या पूर्वोक्तान्सार रोहन कर दिला है, अन्यथा अन्तरिस किया है या किराये पर दिसा है और यदि एसा कहा जाए, तो मंजूरीकर्या प्राधिकारी को उस प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्धारित तारीख को या उससे पहले मूल बिक्ती, रोहन या पटा पत्र और वे आगजात भी जिसमें उनका सम्पत्ति पर अधिकार आधारित है, पेश करोगा ।
- (म) यदि जमाकर्ता सेवा निष्तृति के पूर्व किसी भी समय. मकान या मकान की जगह का कब्जा अध्यक्ष की पूर्वान्मति के बिना छड़े देता है तो इस प्रयोजन के लिये गए धन को निधि में तरन्न एक मुझ्ल वापस जमा करोगा, और एसा न करने पर मंजरीकर्ता अधि-कारी जमाकर्ता के मामले में अभ्यावेधन करने के लिए उपयुक्त अवसर दोने के बाद, उस रकम को जमाकर्ता की परिलब्धियों में से एक मुझ्त या उतनी मासिक किइतों में जित्नी प्राधिकार्री निर्धारित करने, वसल करवाएगा ।
- नोट-1 : जमाकर्ता जिंसने बोर्ड में ऋष्ण लिया है और उसके बदले में मक्सन या मकान-स्थल को बोर्ड के पक्ष में बन्धक किया है, को निम्नलिस्झिन उद्दोरेय के लिए घोषणा-पत्र देना होगा; नामत:

''म[#] एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मकाम या मकान-स्थल, जिसेके निर्माण के लिए या जिसे खरीदने के लिए म[#]ने भीविष्य निभि से अन्तिम ^{**} निकासी ली ह[#], मेरे कब्जे में ही है लेकिन झोर्ड के पक्ष में बंधक है।''

18. अग्रिम को निकासी में बदलना

जिस जमाकर्ता ने विनियम-13 के अन्तर्गत विनियम-16 के उप-स्विनियम (1) में निदिष्ट प्रयोजनों के लिये अग्रिम लिया ह या भविष्य में ले, वह अपनी इच्छान्सार, विनियम-16 और 17 में दी गई शर्तों से सन्तृष्ट होने पर, मंजुरीकर्ता प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित अनुरोध करके, इसमें बकाण रकम को अन्तिम रूप से धन निकालने में रूपान्तरित कर सकता है।

- नोट : निनियम-17 के उप-विनियम (1) के उद्ददेख के ' लिए, एंमें रूपान्तरण के समय जमाकर्ता के खाते में जमा राशि का अंशदान उस पर ब्याज सहित- (जमा) अग्रिम की बकाया राशि, को बकाया राशि माना जाएगा । प्रत्येक निकासी को पृथक-पृथक माना जाएगा और वही सिद्धांत एक से अधिक रूपाम्तरणों के अवसर पर भी लाग होगा ।
- 19. निधि में जमा राशि की अन्तिम निकासी

जब जमाकर्ता नौकरी छोड़ोग तो निधि में उसके खाले में जमा रकम असे भूगतान करने योग्या हो जाएगी :

परन्त_

जिस जमाकर्ता को नौकरी से निकास दिया गया हो और बाद में बहाल कर दिया जाता है, यदि बोर्ड एरेसा

चाह, तो वह (जमाकर्ता) इस नियम के अनुसरण में निधि से भगतान की गई किसी भी राशि को, विनियम-12 में दी गई दर से विनियम-20 को उपबंध की व्यवस्थाओं के अनुसार व्याज सहित, निधि में धापस जमा करोगा। इस प्रकार वापस की गई रकम की निधि में विनिय-6 के प्रावधानों के अनसार जमाकर्ता के अंग्रदान व उस पर ब्याज की राशित को उसके अंगदान व उस पर ब्याज को वरिचायक भाग में तथा बोर्ड के अंशवान व उस पर ब्याज की राशि को बोर्ड के अंशदान व उस पर ब्याज के परित्तायक भाग में जमा कर दिया जाएगा ।

- स्पष्टीहरण-1 जमाकर्ता, जिसे अस्वीकृत छटटी मंजर की जाती है, को अनिवार्य सेवा-निवृति की तारील से गा बकाई गई सेवावीथ की समाण्ति पर सेवा से मुक्त समझा आएगा ।
- म्पष्टीकरण 2 अनबंध पर नियक्त या वह जो सेवा-निवक्त हो गया हो और बाद में सेवा में बिना किसी व्यवधान या व्यवधान महित पर्नानियोजित हुआ हो के अलावा अन्य जमाकर्ता को सेवा से मक्त नहीं समझा जाएगा ।

यही स्पन्टीकरण छंटनी के बाध अविलम्ब नियोजन के मामले में भी प्रयक्त होगा ।

स्पष्टीकरण 3 जब किसी जमाकर्ता, जो अनुबन्ध पर नियुक्त हो या जो सेवा-निवत्त हो गया हो और बाद में पर्न-नियोजित हुआ हो के अलाया, को सेथा में बिना व्यवधान के केन्द्रीय/राज्य संस्कार या केन्द्रीय/राज्य सरकार दवारा स्वास्तित या नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम. 1860 के अन्तर्गत पंजीकत स्वायत्तकासी संगठन से स्थानान्तरित किया जाता है, तो जमाकर्मा के अंघदान व बोर्ड के अध-वान की रक्षम उस पर ब्याज सहित, जमाकर्ता करे भगतान नहीं की जाएगी, बल्कि उस सरकार/ निकाय की सहमति से उस सरकार/निकाय में जमाकर्ताको नए खाते में अंतरित कर दी जएगी।

स्थानास्परण में, कोन्दीय/राज्य सरकार या कोन्द्रीय/राज्य सरकार दवारा स्टामिस्व/नियंत्रित निकाय रा समिति पंजीकरण अभि-नियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकत स्थायनज्ञासी संगठन में जिना किसी व्यवधान और बोर्ड की नचिन अनमनि से नियकित स्वीकार करने पर दिया गया त्याग-पत्र भी जामिल है। नये पद पर कार्य-भार ग्रहण करते के लिए लिया गया समय, यदि यह बोर्ड के कर्म-**सारि**गों को एक पर्द से दासरे पद पर स्थातान्तरण पर गातर पदशार ग्रहण समय में अधिक नहीं है, तो मेवा में व्यवधान नहीं भारत आएगा :

परन्त-

उस अमाकर्ता औं सार्वजनिक उद्यम में सेवा की इच्छा व्यक्त करताहै, के अंशदान और बोर्ड के अंशदान की राशि उस पर ब्लाज सहित, यदि वह एसा चाइसा है, उस ्रष्टम में उसके नए भविष्य निधि साते में अंतरित कर दी जाएगी यदि वह लखम इसके लिए सहमत हो । यदि जगा-कर्ता इस धनराजि का अन्तरण नहीं करना चाहरा है ग सम्लेथित उण्म ≭े किसी भविषय निथि का संचालन

नहीं है, तो चूर्वाक्त राशि का भगतान जमाकर्ता को किया जाएगा ।

20. जमाकर्ताको सेवा-निवृति :

--...-

जब जमाकर्ता---

- (अ) सेवा निवृत्ति से पूर्व छुट्टी पर चला ग्या हो,
- (ब) जब छट्टटी पर हो, सेवा-निवृति की अनुमति देवी गई हो या सक्षम चिकित्सा अधिकारी खुवारा आगे नौकरी करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो,

तो निथि में उसके खाते में जमा अंशदान और उस पर ब्याज की राशि जमाकर्ता को उसके द्यारा इस संबंध में आवेदन, जो कि लेखा अधिकारी को दिया गया हो, करने पर भगतान गोग्य हो जाएगी ।

परन्तु—

यदि जमाकर्ता कार्य पर वापस आ जाता है तो, जहां बोर्ड अन्यथा निर्णय कर ले लेता है कि सिवाय. उसे इस विनियम के अनसरण में भगतान की गई रकम को विनियम-12 में व्यवस्थित दर से उस पर व्याज सहित नकद या प्रतिभूतियों में एत अंगत: नकद और अंगत: प्रति-भूतियों में किल्तों दवारा या अन्यथा उसकी परिलव्धियों में से बसली क्वाग था अन्यथा, जैसा भी नियम-13 को उप-नियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्निम मंजरीकर्ता सक्षम प्राधिकारी निदर्भ दो, निधि में उसके खाते में जमा करने के लिए बापस जमा करनी होगी ।

21. जमाकर्ता की मृत्य पर कार्य-प्रणाली

जमाकर्ता के लाते में जमा राशि के देय हो जाने से पहले या जहां गीक घेय हो गई है, उसका भगतान होने से पहले ही जमाकर्ताको मृत्युहो जाने पर, विनियम-22 के अन्तर्गत किसी भी कटौती की शर्तपरः—

- जब जमाकर्ता का कोई परिवार हो :---
 - (अ) यदि विनियम-5 की व्यवस्थाओं के उन्सार जमा-कर्ता दवारा अपने परिवार के सदस्य या सदस्यौं के हित में नामांकन किया गया हो, तो निधि में उसके रूति में जमा रकम या उसका हिस्सा जिससे तामांकन संम्बन्धित है, नामांकन में दिखाए गए अनुपात के अनुसार उसके मनोनीस या मनो-नीतों को दोना हो जाएगी;
 - (ब) यदि जमालतां के परिवार के सदस्य या सदस्यों के हित में एरेग कोई नामांकन नहीं हैं या यदि एमा नामांकन निधि में उसके साते में जमा रकम के किसी अंश से ही सम्बंधित है, तौ सारी रकम या उसका भाग जिससे नामांकन सम्बंधित नहीं है, जैसी भी स्थिति हो, कोई भी नामांकन उसके परिवार के सबस्य या सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियाँ के हित में होने पर भी, उसके परियार के गवस्यों को बराबर अंगों में देये हो जाएगी :

परन्त निम्नांकिन को कोई हिस्मा देय नहीं होगा :---

(1) उसके पुत्र जो व्यास्क हो गए है;

.

- (2) उसके मृतक पुत्र के पूत्रों को व्यस्क हो गए हों;
- (3) यिवाहित पुत्रियां जिनके पनि जीवित हों;
- (4) उसके मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों;

यदि उसके परिवार में खण्ड (1), (2), (3) और (4) में दिखाए गए सदस्यों के अलावा-कोई अन्य सदस्य है; परन्त्—

यह भी कि मृतक प्त्र की विधवा या विधवायें और बच्चा या बच्चे कोवल उस भाग को बराबर हिस्सों में प्राप्त करेंगे, जिस भाग को वह प्त्र, यदि वह जीवित रहता और प्रथम उपवन्ध के अनुच्छदे (1) की व्यवस्थाओं से विम्क्त होता, जमाकर्ता से प्राप्त करता ।

- नोट : इन दिनियमों के अन्तर्गस अमाकर्ता के परिवार के किसी स्टदस्ग को दरेय राशि, भविष्य निभि अभिनियम 1925 कर धारा-3 की उफ्भारा (2) के अन्तर्गन एरेसे सदस्य को प्रदान की जाएगी।
 - (ii) जब जमाकर्ता का परिवार नहीं हो और यदि उसने विनियम-5 की व्यवस्थाओं के अन्सार किमी व्यक्ति या व्यक्तियों के हित में नामांकन किया हो, तो निधि में उसके खाने में जमा रकम या उसका हिस्सा जिससे नामांकन सम्बधित हो, मनोनयन में दिसलाये गए अन्पात में उसके नामांकित या नामांकिलों को देय हो जाएगी।
- तोट−1 : जब नामित, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 को धारा-2 की उप-धारा (सी.) में, जमाकर्गा का आश्वित ह⁶ तो जस अधिमियम की धारा-3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत एरेसे नामिक्ष को प्रदान की जाएगी ।ग
- नोट--2 : जब जमाकर्ता का एरिवार नहीं हो और उसके द्वारा विनियम-5 की व्यवस्थाओं के अनुसार दिया गया नामांकन विद्यमान नहीं है अथवा यदि एसा नामांकन उसके खाने में जमा राशि के अंज से ही सम्बधित है तो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा-4 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी.) और खण्ड (सी.) के उप-खण्ड (11) की सुसंगत व्यवस्थाएं, परी राशि या उसके अंग जिस्से नामांकन संबंधित नहीं है, के लिए लाग है।

21-क. जमा सम्बद्ध बीमा योजना

जमाकर्ता की 30 सितम्बर, 1991 को या जरूसे पहले मत्य हो जाने की स्थिति में और जिस पर विनियम-21-ख लाग नहीं होता हो, उसके खाते में जमा धन को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को लेखा अधिकारी जमाकर्सा की मृत्य से तुरन्त पर्व तीन वर्ष को दौरान जसके खाते में जमा अंशदार और उस पर ब्याज की जामत राधि के बरावर अतिरिक्त राधि का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन करेगा :----

- (अ) एसे जम⊓कर्ता के खाने में लकाया रकम उसकी मृत्यू के मास से पर्व 3 वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्न सीमाओं से कम ने हुई हो :----
 - (i) २. 4,000/- जस अमार्क्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर

समय के लिए एसे पद पर रहा हो जिसका चेतनमान अधिकतम रु. 1300/- या अधिक हो;

- (i) रु. 2500/-, उस जमाकर्ता के मामसे में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकरार समय के लिए एंसे पद पर रहा हो जिसका बेतनमान अधिकतम रु. 900/- या अधिक हो परन्तु रु. 1300/- से कम हो;
- (iii) रु. 1500/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय एरेसे पद पर रहा हो जिसका वेत्तनमान अधिकतम रु. 291/- या अधिक परन्ता रु. 900/- से कम हो;
- (iv) रु. 1000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दाँरान अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 291/- से कम हो;
- (ब) इ.स. विनियम के अन्तर्गत देय राशि 10,000/-से अधिक नहीं होगी ।
- (स) जमाकर्ताने मृत्यु के समय कम-से-कम 5 वर्षको सेंग की हो ।
- 21-स. जमा सम्बद्ध बीमा संशोधित योजना

जमाकर्ता की मृत्यू पर लेखा अधिकारी जमाकर्ता के खाते में जमा राशि को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को एसे जमाकर्ता की मृत्यू से तुरन्त पूर्व 3 वर्ष के दौरान उसके खाते में अर्थात् बकाया रकम के बराबर अतिरिक्त रकम का भगतान निम्नलिखित इतों के अधीन करेगा :----

- (अ) एसे अमाकर्ताक लाते में उसकी मृत्यु के भास से पूर्व 3 वर्षक दौरान किसी भी समय ककाया निम्नवत् सीमाओं से कम रूरहा हो :---
 - (1) रु. 12,000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिए एमें पद पर रहा हो जिसका देसनमान अधिकतम रु. 4000/- या अधिक हो;
 - (2) रु. 75,00/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतरा समय एसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 2900/- या अधिक ही परन्त् 4000/- से कम हो;
 - (3) रु. 4500/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्षकी अवभि के दौराम अधिकतर समय एसे पद पर रहा हो जिसका वैतनमान अधिकतम रु. 1151/- या अधिक हो परन्त् रु. 2900/- से कम हो;
 - (4) रु. 3000/- उस जमाकर्ता के मामले प्रं जो उक्त 3 वर्ष की अत्रधि के दौरान अधिकतर, समय एसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 1151/- से कम हो।

--

- (ब) इस विनियम को अन्तर्गत दोय अतिरिक्त राशि रु. 30,000/- से अधिक नहीं होगी ।
- (स) जमाकर्ताने मृत्युको समय कम-से-कम 5 वर्षकी हो ।
- नोट-1 : औसत बकाया का हिसाब जमाकर्ता के खाते मे उसकी मृत्यु के मास से पूर्व प्रत्येक 36 महिनों के अन्त म बकाया के आधार पर किया जाएगा । इस उक्करिय के लिए, उपर्युक्त निर्धारित न्यूनतम बकाया राशि की जांच के लिए भी---
 - (अ) मार्भ के अन्त में बकाया राशि में विनियम-11 की क्षर्सों के अनुसार जमा किया गया वार्धिक ज्याज भी शामिल होगा, और
 - (ब) यदि पूर्वोक्त 36 मासों का अन्तिम मास मार्भ नहीं होता है तो उक्त 36 मासों के अन्तिम मास के अन्त में बकाया राशि में, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें मृत्यु होती है, के प्रारम्भ से लेकर उक्त अन्तिम मास तक की अवधि के लिए ब्याज भी शामिल होगा ।
- नोट--2 । इस योजना के अन्तर्गत भुगतान पूर्ण रुपयों में ही होगा । यदि देय राशि में रुपये का अंख भी शामिल है तो उसे निकटतम पूर्ण रुपये में परिवर्तित कर विया आएगा (जैसे 0.50 पैसे को अगला उज्ज्वतर रुपया गिना जाएगा) ।
- नोट-3 : इस योजना के अन्तर्गत देंय कोई भी राषि बीमा धन के स्वरूप की है और इसलिए भविष्य निधि जिभिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) की धारा (3) के द्वारा दी गई वैधानिक सुरक्षा इस योजना के अन्तर्गत दी गई रकमों पर लागू नहीं होती है।
- गेट−4 ः यह योजना निधि के उन जमाकर्ताओं पर भी लागू होती है जो किसी सरकारी विभाग के स्वायराधासी संगठन में रूपान्तरण के परिणामस्यरूप उसमें स्थानान्तरित हो जाते है और एसे स्थानान्तरण पर उनको दिए गए विकल्पों की गतों के अनुसार इन विनियमों के अनुसार निधि में अंग्रदान करने का विकल्प दते है ।
- नोट---5 : (अ) बोर्ड के उस कर्मचारी के मामले में, थो विनियम--4 के अन्तर्गत इस निभिका सवस्य बना हो लेकिन 3 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई हो या जैसी भी स्थिति हो, उसके निधिका सबस्य बननं की तारीख से 5 वर्ष की सेवा अवधि, पूर्व नियोक्ता के अधीन उसकी सेवावधि जिसके लिए उसके अंधवान और नियोक्ता के अंधदान की राषि, यदि कोई हो, ब्याज सहित प्राप्त हो गई हो, अनुच्छदे (अ) और (स) के लिए गिनी आएगी ।
 - (ब) साथभि आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के मामले में और पूर्नीनियुक्त पैंग्रेनभौगियों के मामले में केवल ऐसी नियूक्ति या पर्नीनियक्ति की तारीक्ष से की गई सेवा अवभि,

जैसी भी स्थिति हो, इस विनियम के उद्दारेय के लिए गिनी जाएगी ।

- (स) अनुबन्ध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर यह योजना लागूनही होती है।
- नोट---6 : इस योजना के सम्बन्ध में बजट अनुमान निर्धि लेखा के अनुरक्षणु के लिए उत्तरदायी लेखा अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्ति का ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार तैयार किया जाएगा जैसा कि अन्य निवृत्ति लोभों के लिए अनुमान तैयार किए जाते हैं।
 - 22. कटौतियां

यत यह है कि निधि में जमाकतों के खात में जमा राशि का निधि से भूगतान कर विए जाने से पहले एसी कोई कटाती नहीं की जाएगी, जा जमाकर्ता के खाते में जमा राशि, को बोर्ड द्वारा किए जंशवान व उस पर विनियम-11, एवं 12 के अन्तर्गत ब्याज की राशि से जधिक कम कर दो,

(क) अध्यक्ष उसमें से----

परन्तु—

1.....

(1) एसे अझवान और व्याज को परिचायक राशियों की कटाँती करने और बार्ड को भूगतान करने के निदेश देगा, यदि जमाकर्ता को दुर्व्यवहार दिवालियापन या अदक्षता के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है:

परन्तू----

जहां अभ्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि एेसी कटोती जमाकर्ता के लिए असाधारण कठिनाई पदा कर दोगी, तो बह आदश द्वारा उसे एरेसी कटोती से, आ एरेसे अंकादान तथा ब्याज की रकम, जो जमाकर्ता को स्वास्थ्य आधार पर सेवा-निवृत्त होने की अवस्था में देये होती के दो-तिहाई से अभिक नही होगी, मुक्त कर सकसा है

परन्तु यह भी लि——

यदि नौकरी से निकाले जान को एसे आदोग नाव में रदूद कर दिए जाते हूँ तो इस प्रकार काटी गई रागि उसकी सेवा में बहाली होने पर उसके खाते में जमा कर दी आएगी ।

(2) एसे अंधदान एवं ब्याज की परिचायक राघियों की कटाँती करने और बोर्ड की भुगतान करने के निद्देश दोगा, यदि जमाकतों नौकरी पर लगने के पांच साल के अन्दर नौकरी से त्याग-पत्र दे देता है या मुत्यु, सेवा-नियृत्ति आयु होने या सक्षम चिकिस्सा प्राधिकारी द्वारा आगे नौकरी करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाने या पद की समाप्ति या स्थापना की केमी जैसे कारणों के अलावा अन्यथा कारणों से बोर्ड का कर्मचारी नही रहता है।

(स) अभ्यक्ष उसमें से जमाकर्ता द्वारा बोर्ड को देय देनेदारी के अन्दर्गत किसी भी रकम कटौती करने और बोर्ड को भुगतान करने के आदरेश देगा ।

- टिप्पणी---1 : इस विनियम कें खण्ड-क के उप-खण्ड (ii) के उद्यवरेय के लिए----
 - (अ) पांच साल की अवधि की गणना, बांडें में जमाकर्ता की निरम्तर सेवा के प्रारम्भ से की जाएगी;

- (ब) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग मे या राज्य सरकार के अन्तर्गत या सरकार द्वारा स्वामित्त्र या नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत पंजीकृप्त स्वायत्न-शासी संगठन मे बिना किसी व्यवधान के और बोर्ड को उचित्त अनुमति से नियुक्ति प्राप्त करने के लिए सेवा से विया गया त्याग-पत्र, बोर्ड की सेवा से त्याग-पत्र नहीं समझा जाएगा।
- नोट 2 : इस विनियम के अन्तर्गत अभ्यक्ष की शक्तियों का उपयोग, उसमे उल्लिखित राशियों के संबंध में, विनियम-13 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिये अग्निम मंजूरीकर्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।

23. निधि की रकम के भुगतान का तरीका

(1) जब निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा रकम अथवा विनियम-22 के अन्तर्गत किसी कटाती के बाद उसकी बकाया राशि बये हो जाती है, तो अपने आप को सन्तूष्ट करने के बाद, जब उस विनियम के अन्तर्गत एरेरी किसी कटाती का निदश नही दिया गया हो, कि कोई कटाती नहीं की जानी है, लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उप-विनियम (3) की व्यवस्थाओं के अनुसार लिखित आवदेन-पत्र प्राप्त होने पर भगतान करो।

(2) यदि बह व्यक्ति, जिसे इन विनियमों के अन्तर्गत किसी रकम का भूगतान किया जाना है, पागल है और उसकी सम्पत्ति के लिये भारतीय पागलपन अधिनियम , 1912 के अधीन इसके लिये प्रबन्धक की नियुक्ति की गई हो तो भूगतान प्रबन्धक को किया जाएगा न कि पागल व्यक्ति को :

परन्तु---

जहां प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया हो और जिस व्यक्ति को रकम दये है उसे मौजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित कर दिया गया हो तो भूगतान जिलाधीश के आदेश पर भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की भारा-95 की उप-धारा (1) की शती के अनुसार उस व्यक्ति को किया जाएगा जो उस पागल के लिये भारित है और लेखा अधिकार, जितनी रकम उपयुक्त समझोगा, उस व्यक्ति, जो पागल के लिये भारित है, को भूगतान करेगा और अधिशेष राशि, यदि कोई हो, या उसका कोई भाग, जैसा भी वह उपयुक्त समभ्ने, पागल के परिवार के सदस्यों को जो उस पर आश्रित है, को निर्वाह होतू देगा।

(3) रकम का भुगतान केवल भाग्त में ही किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को रकमे देय हॉगी वह भुगतान को भारत में प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रबन्ध करोगे। जमाकर्ता द्वारा भुगतान के दावे के लिये निम्नलिसािर प्रक्रिया अपनायी जाएगी, नामत :-

> (1) कार्यालय अध्यक्ष प्रत्येक जमाकर्ता को निधि से रकम निकालने के लिए आवेदन करने के लिये या तो उसकी सेवा निवृत्ति की आयु पूरी होने की तारीख से एक

वर्ष पूर्व या उसकी निवृत्ति की अपेक्षित तारीख, यदि पहले हो, से पहले आवश्यक आवदेन-पत्र भेजेगा जिसमें यह हिंदायतों होंगी कि जमाकर्ता इन प्रपत्रों को प्राप्त करने की तारीख से एक महीने के भीतर विधिवत् भर कर वापस भेज दो। जमाकर्ता विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को निधि में उसके खाते में जमा रकम के भुगतान के लिए आवदेन प्रस्तुत करगा। आवदेन निम्नांकित को लिए किया जाएगा :

- (अ) निधि में उसके खाते में जमा रकम, जो उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख या निवृत्ति की अपेक्षित तारीख से एक वर्ष पूर्व समाप्त हुए वर्ष की लंखा विवरणी में दिखाई गई है, के लिये; या
- (ब) यदि जमाकर्ताको लेखा-विवरणी प्राप्त नहीं हुई हो तो उस मामले में उसके वही-खाता में अंकित रकम के लिये।
- (2) कार्यालय अध्यक्ष आवेदन-पत्र को, जमाकर्ता द्वारा लिए गए अग्रिमों, जो अभी विद्यमान हैं, के प्रति की गई वसूलियों तथा किस्तों की संख्या जो अभी वसूल की जानी हैं का उल्लेख करके, और जमाकर्ता दूवारा लेखा अधिकारी द्वारा जारी पिछली विवरणी के बाद निकाले गए धन, यदि कोई हो, का भी उल्लेख करके, लेखा अधिकारी को अग्रप्रोपित करगा।
- (3) लेखा अधिकारी, अही-खाता से सत्यापन करने के बाध, आवेदन-पत्र में उल्लिखित रकम के भुगतान के लिए सेवा निवृत्ति की आयु होने से कम-से-कम एक महीना पहले प्राधिकार जारी करोगा, किन्तू यह रकम सेवा-निवृत्ति की नारीख की ही भुगतान योग्य होगी।
- (4) अनुच्छदे-3 में वर्णित प्राधिकार भगतान की पहली किस्त के लिये होगा। इस उद्देश्य के लिये दुसरा प्राधिकार सेवा-निवृत्ति के बाद जितनी जल्दी सम्भव हो जारी किया जाएगा। यह जमाकर्ता के द्वारा अनुच्छद (1) के अन्तर्गत किये गये आवेदन में वर्णित रकम के बाद किये गए अंधदान तथा उन अग्निमों, जो पहले आवेदन-पत्र के समय चालू थे, के प्रति वापिस की गई किस्तों से संबंधित होगा।
- (5) अनन्तिम भुगतान को लिये लोखा अधिकारी को आवंदन-पत्र अग्रप्रोपित करने के बाद, अग्रिम/धन-निकासी की मंजूरी थी जाएगी, लोकिन राशि संबंधित लोखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी, जो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी से औपचारिक मंजूरी प्राप्त होने पर तुरन्त इसका प्रबन्ध करेगा ।

भाग III -- सम्ब 4]

पैं शन योग्य सेवा

24. पैंचन योग्य सेवा में स्थानान्तरण पर कार्यविधि :

(1) यदि जमाकर्ता स्थाई तौर पर बोर्ड के अधीन पौंशन-यांग्य सेवा में स्थानन्तरित हो जाता है तो वह अपनी इच्छानुसार-

> (अ) निधि में अंधदान जारी रखने का पात्र होगा, इस मामले में वह किसी पैंचन का पात्र नहीं होगा;

या

- (ब) एरेसी पैंदान-योग्या सेवा में पैंदान अर्जित करने का पात्र होगा, इस मामले में बहु अपने स्थाई स्थानान्तरण की तारीख से—
 - (1) निधि में अंधवान करने का पात्र नहीं रहगा;
 - (2) निधि में उसके खाते में बोर्ड के अंशदान की जमा राशि उस पर ब्याज सहित बोर्ड को वापस की जाएगी;
 - (3) निधि में उसके खात में जमा उसके अंधवान की राघि उस पर ब्याज सहित सामान्य भविष्य निधि में उसके खाते मे अन्तरित कर दी जाएगी जिसमें वह उस निधि के नियमानूसार अंघदान कररेगा; और
 - (4) वह स्थाई स्थानान्तरण की तारोल से पूर्व की सेवा को सुसंगत पैंशन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य सीमा तक पैंशन सेवा के लिये गणना करने का पात्र होगा।

(2) जमाकर्ता उप-विनियम-1 के अन्तर्गत उसके पैंशन-योग्य सेवा में स्थाई स्थानान्तरण के आदेश की तारीख से 3 महीने के भीतर लेखा अधिकारी को अपना किकल्प दोगा और यदि उक्त समयावधि के दौरान लेखा अधिकारी को कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि जमाकर्ता ने उक्त उप-विनियम के खण्ड (ब) में दिये अनसार अपना विकल्प दिया है।

25. कार्यविधि विनियम

(1) अंशवान के भूगतान के समय लेखा-संख्या उद्धृत करना : जमाकर्ता जब भारत में अंशदान का भुगतान या तो परिलब्धियों से कटौती ब्वारा या नकद कर हो तो उस समय वह लेखा अधि-कारी द्वारा सूचित किए गए निधि में अपने लेखा-संख्या को उदधत्त करेगा।

26. जमाकर्ता को लेखे की वार्षिक विवरणी धेना :

प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के बाद यथाशीघु लेखा अधिकारी प्रत्येक जमाकर्ता को निधि में उसके लेखे का विधरण प्रेषित करेगा, जिसमें वर्ष की एक अप्रैल को प्रारम्भिक बकाया, वर्ष के दौरान जमा की गई या निकाली गई कुल रकम, वर्ष के 31 मार्च तक जमा की गई ब्याज की कुल रकम और उस तारीख तक अन्तिम अकाया दिखाया जाएगा। लेखा अधिकारी लेखा विवरणी के साथ यह पूछताछ मंलग्न करेगा कि क्या जमाकर्ता—–

- (अ) विनियम-5 के अन्तर्गत दियं गये किसी नामांकन में किसी परिवर्तन करने की इच्छा रखता ह³;
- (अ) नं परिवार अर्जित कर लिया ह⁵, उन मामलों में जहां जमाकर्ता ने विनियम-5 के उप-विनियम (1) के उपबंध के अन्तर्गत नामांकन अपने परिवार के सदस्य के पक्ष में न दिया हो।

(2) जमाकर्ता को वार्षिक विवरणी की विशुद्धता से स्वयं को सन्तृष्ट करना चाहिये और यदि कोई ट्राट हो तो विवरणी प्राप्त करने के तीन महीने के अन्दर लेखा अधिकारों के ध्यान मे लाना चाहिये।

(3) जमाकर्ता यदि भाहोगा तो लेखा अधिकारी, वर्ष में केवल एक बार, जमाकर्ता को उस अन्तिम माह जिसको लिये उसका खाता लिख दिया गया हो के अन्त में निधि में उसके खाते में कॉल जमा रकम की सुचना दोगा।

सामान्य

27 व्यक्तिगत मामलों में विनियमों के प्रायधानों में शिथिलता देना

जब अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि इन विनियमों के किसी विनियम के प्रचलन से जमाकर्ता को अनूचित कठिनाई होती है या होने की सम्भावना है, तो वह इन विनियमों में अन्यथा होते हुए भी, एसे जमाकर्ता के मामले को इस प्रकार से निपटाएगा जो उसे उचित लगे।

28. व्याख्याः यदि इन विनियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसे बोर्ड के पास भेजा जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम ढोगा।

29. निथियों का प्रशासन : निधि का प्रशासन सदस्य सचिव दवारा किया जाएगा।

30. निधि का निवंश : निधि का निवंश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रतिमानों पर और प्रतिभूषियों में किया जाएगा।

31. कोन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अंशवायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के परिवर्धन/स्पष्टीकरण में अपने कर्मखारियों के लिये जारो किये गए सभी निर्णय एवं आदरेश आवश्यक परिवर्तन सहित इस बोर्ड के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशवायी भविष्य निधि नियमों (भारत), 1962 में अपने कर्मचारियों के लिये समय-समय पर किये गए संशोधन/परिशोधन/परिवर्धन आवश्यक परि-वर्तन सहित इस बोर्ड के कर्मचारियों पर लाग होंगे।

32. इन विनियमों में कोई भी संशोधन/परिवर्तन विस्त मंत्रालय/पींशन एवं पींशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

अनुसूची [विनियम 5 (3)]

नामाकन पत्न

राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंणदायी भविष्य निधि विनियम, 1990 के विनियम-2 में परिभाषित है, मेरे परिवार का/ के सदस्य हैं/नहीं हैं/हैं/नहीं है को निधि में मेरे खाते में जमा राशि को, जिसके देय होने से पहले या देय हूं। जाने पर भुगतान होने से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाने की अवस्था में, निम्नुसार प्राप्त करने के लिए नामित करता हूं।

| व पूरा पत्तां साथ सम्बन्ध आयु देय भाग पर नामांकन यदि कोई हो, जिन्हें कर्ता अवैध हो जाएगा जमाकर्ता की मृत्यु से का पहले ही नामित की है मृत्यु हो जाने की विनिय अवस्था में नामित का परिभ अधिकार चला जाएगा, तो उ | नामित जमा कि परिवार सदस्य नहीं जैसा कि यम2 में भाषित है, उन कारणों का तेख करें। |
|--|--|
|--|--|

| दिनांकः तारीखमास | 9 , स्थान : |
|--|---|
| | जमानर्ता के हस्ताक्षर पूरा नाम पदनाम |
| दो साक्षियों के हस्ताक्षर | |
| नाम व पूरा पता | हस्ताक्षर |
| 1 2 | |
| कार्यालय अध्यक्ष/विस एवं लेखा अधिकारी ढारा प्रयोग हेतु स्थान श्री/श्रीमती | द्वारा नामाकन |
| | कार्यालय अध्यक्ष/वित्त एवं लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम |

जमाकर्ताक लिए निद^{*}श—–

- (अ) अपनानाम भरा जाए।
- (ब) निधिका नाम उचित रूप से पुग किया जाए।
- (स) शब्द ''परिवार'' की परिभाषा जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंघदायी भविष्य निधि विनियम, 1990 में दी गई हैं पूनः प्रस्तृत की जाती है।

''परिवार'' से अभिप्राय :----

- (1) पुरुष जमाकर्ता के मामले में, जमाकर्ता की पत्नी. माता-पिता, बच्चे, नाबालिंग भाई, अविवाहिन बहनें, और जमाकर्ता के मृतक पुत्र की विधवा तथा बच्चे, तथा जहां जमाकर्ता के माता-पिता जी वित नहीं हैं पैराक दादा-दादी :
- बगतौ कि----

यदि जमाकर्ता यह सिद्ध कर दोता है कि उसकी पत्नी न्यायिक तौर मे उससे जलग हो गई है या मम्प्रदाय जिससे वह संबंधित है की प्रथा अनुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता मे वंचित हो गई है, तो उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लागू होते है, उसे जमाकर्ता के परिवार की सदस्य नहीं समभा जाएगा जब तक कि जसाकर्ता बाद में लेखा अधिकारों को लिखित में सुचित नहीं करता है कि उसे उसके परिवार की सदस्य डी समभा जाए।

(2) महिला अमार्कता के मामले में, उसका पति, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, उसके मतक पुत्र की विधवा और बच्चे, और जहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं है, पैतुक दादा-दादी:

यदि जमाकर्ता लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा अपने पति को अपने परिवार की सदस्यता से बाहर रखने की इच्छा व्यक्त करती है, तो उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लाग होते हैं, परिषार का सदस्य नहीं समभा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाब में इस प्रकार के नोटिस को लिखित में रद्द नहीं कर दोती है।

- नोट : ——बच्चे से अभिप्राय न्यायोचित बच्चे से है और इससें गोद लिया गया बच्चा भी सम्मिलित है जहां पर यि वैयवितक कानन, जिलसे जमाठती प्रजासित है. दवारा मान्य हो।
 - (द) यदि एक ही व्यक्ति है तो कालम 4 में नामित के सामने शब्द ''पुरा'' लिखा जाना चाहिए। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित जाते हैं, तो भविष्य निधि में जमा राजि में से प्रत्येक नामित को देये हिस्सा विनिदिष्ट किया जाएगा।
 - (रु) कालम 5 में नामित की मन्य को आकम्मिकक घटना के तीर पर उल्लेख तही करनी बाहिये ।
 - (र) कालम 6 में अपने नाम का उल्लेख न करी।

(ल) नामांकन में अन्तिम प्रीषष्टी के नीचे तिरछी रखा खीच द ताकि आपके द्वारा हस्ताक्षर कर दने के बाद इसमों और को प्रविष्टीन कर सके।

सं. सी-11013/1/88 रा. रा. को. यो. बो.---राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योखना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) को धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, केन्द्रीय सरकार को पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता ह^{*}, जैसे :---

- 1. लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ :---
 - (अ) इन विनियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सामान्य भविष्य निधि नियम, 1990 कहा जाए।
 - (ब) यह विनिधम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की सारीख से प्रभावी होंगे।

इन विनियमों में जब तक प्रसंग में अन्यथा आवश्यक न हो,—--

- (1) ''अधिनियम'' का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड. अधिनियम, 1985 (1985 का 2) से ह्¹;
- (2) ''लेखा अधिकारी'' से अभिप्राय उस अधिकारी मे हैं जिसे जमाकर्ता के भविष्य निधि लेखा के अनुरक्षण/ रख-रखाव का कार्य सौंपा गया है;
- (3) ''बोर्ड्'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से ह³;
- (4) "अथ्यक्ष" से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अध्यक्ष से हैं;
- (5) ''परिलब्धियों'' से अभिप्राय जेतन, अवकाश वेतन या निर्वाह अनुदान से है जैसा कि घिनियम में परि-भाषित है और इसमें निम्नांकित भी सम्मिलित होगा ----
 - (अ) वेतन के उपयुक्त महगाई वेतन, अवकाश वेतन या निर्वाह अन्दान, यदि ग्राह्य हो;
 - (ब) बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को दिया गया कोई भी बेतन जो नियम मासिक बेतन द्वारा न आंका जाए; और
 - (स) वेतन के स्वरूप कोई भी पारिश्रमिक जो विदेश सेवाक सेबंध में प्राप्त किया हो।
- (6) ''परिवार'' ने अभिप्राय :----
 - (अ) पुरुष जमाकर्ता के मामले में, जमाकर्ता की पत्मी, माता-पिता, बच्चे, नाबालिंग भाई, अविवाहित बहनें, और जमाकर्ता के मृतक पूत्र की विथवा तथा बच्चे, तथा जहां जमाकर्ता के

बगर्ल कि——

² परिभाषाएं :

माता-पिता जीवित तहीं हैं पैतेक दादा-दादी :

यदि जमाकर्ता यह सिद्ध कर दता है कि उसको पत्नी न्यायिक तौर में उससे अलग हो गई है या सम्प्रवाय जिससे वह संबंधित है की प्रथा अनसार निर्वाह भत्ता की पात्रता से वंचित हो गई है, ते उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लाग होते हैं, उसे जमाकर्ता के परिवार की सदस्य नहीं समका जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में लेखा अभिकारी को लिसित में सचित नहीं करता है कि जमे उसके परिवार की सदस्य ही समका जाए।

- (ब) महिला लमाकर्ता के मामले में. उसका पनि, माता-पिता. बच्चे, नाबालिग भाई. अविवाहित बज्रनें, लसके मृतक एक की विधवा और वर्ष्ड, और जहां उसाकर्ता के माता-पिता जी बित नहीं ह⁴, पैतक वादा-दादी :
- बगर्तं कि----

यदि अग्लाकर्ता लेखा अधिकारी को लिखित तोटिस दसारा अपने पनि बनो अपने परितार की सदस्यता से दाहर रखने की डच्ला व्यक्त करती है, तो उसे उन ग्रामलों के लिये जिन्सों यह नियम लाग होते हैं, परिकार का यतम्य नर्जी समभा जाणगा गन तक कि जमाकर्ता बान में इस प्रकार के तोटिस को लिग्लित में रहद नहीं कर देती है।

- (7) "मिधि' में अभिप्राग सामान्य भविषय (गण्टीय राजधानी क्षेत्र योजना बोडी निधि से हैं";
- (8) "अवकाश" से अभिप्राय वित्तियमों ख्वारा मान्य किमी भी प्रकार के अथकाश में हैं:
- (9) "सहस्य सचिव" से अभिणय बोर्ड के सटस्य मचिव से क्षे:
- (10) ''विनियम'' से अभिपाय राष्ट्रीत राजधानी के लिए योजना बोर्ड सामान्य भविष्य निभि विनियम, 1990 से हैं:
- (11) ''वर्ष'' से अभिप्राय विन्तीय वर्ष से है।

हन विनियमों में प्रयक्त कोई अन्य अधिकाखिन अथवा शत्व जिसे या तो शविषय जिति अधितिगम 1025 (1025 का नियम 19) या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना नोर्ड अधिनियम. 1985 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना चोर्ड विनियमन. 1086 में परिभाषित क्षिठा गया हो, को उनकों परिभाषित संदर्भ में सी प्रगटना जिया जागा।

निधिका गठन

(1) निधि का रख-रखान रजगरों में किया जागगा।

(2) इन निगमों के अन्तर्गन निम्धि में जमा की गर्द साथ राधिग्रां नोर्स के ''साय का भनिका निम्धि (सम्बीय राज्योनी स्वीय योजना तोर्ड) केना?' खाने में नामा की जागरंगी। कोर्ड भी भन राधि जिसका भगतान उन विनियमों के अन्तर्गत दोय होने के बाद 6 महीने के अन्दर नहीं लिया जाता है तो उस राशि को उस वर्ष के अन्त में ''डिपोजिट'' में अन्तरित कर दिया जाएगा और उसे सामान्य विनियमों के अन्तर्गत ''डिपोजिट'' से संबंधित याना जाएगा।

4 पात्रताकी शर्ताः

बोर्ड के सभी अस्थाई कर्मचारी एक वर्ष की निरन्तर सेवा के पश्चात, सभी पूर्नानियोजित पैंदानभोगी (''अंदादायी भविष्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) निधि'' के लिए पात्र को छोड़कर] और बोर्ड के स्थाई कर्मचारी इस निधि में अंदादान करने :

परन्त_--

एरेस कोई भी कर्मचारी जिसे अंशवायी भविष्य निधि में अंशवान करना आवश्यक हो या अंशवान करने की अन्मति दी गई हो, इस निधि का सदस्य बनने या अंशवाता बना रहने का पात्र नहीं है, जब बह एसी निधि में अंशवान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. नामांकन

(1) प्रत्यके अमाकर्ता सामान्य भविष्य निधि का सवस्य बनते समय कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारो को नामांकन भेजेगा, जिसमें उसकी मृत्यू होने की अवस्था में उस राशि जो उसके भविष्य निधि खाते में जमा है, के बंधे होने से पहले या देय होने पर भगतान न की गई हो, को एक या एक से अधिक व्यक्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा :

परन्तु----

अहां जमार्क्ता अवयस्क हो, तो वह वयस्क होने पर ही नामांकन करोगाः

परन्त गड भी कि---

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता का परिवार हो, हो नामांकन उसके परिवार के सनस्य या सदस्यों के एक में ही किया जाएगा :

परन्त यह भी कि---

जमांकर्ता इस निधि का सदस्य बनने से पर्व किसी अन्य भविष्य निधि में अंशदान कर रहा था और उस निधि में उसके ज्या धन को इस भविष्य निधि में उसके खाते में अन्तरिस कर दिया गया है तो जस लिथि के लिये किएा रेश नामांकर इस विनियम के लिए किया गया नामांकन समझा जाएगा जब तक कि वह इस विनियम के अनुसार नामांकन नहीं देता है।

(?) यदि जमाकला उप-विनियम (1) के अन्तर्गत एक में अधिक व्यक्तियों को नामिन करता है तो उसे नामांकन में ऽत्येक नामजद को देय राशि या भाग इस तरह स्पष्ट करना होगा जिससे जसके अविषय निधि खाने में जगा राशि किसी भी समय परी-परी बंट जाए ।

(3) प्रत्येक नामांकन प्रथम अनमत्री में दिये गये फार्म में फिला जागगा ।

(1) जमाकर्ता किमी भी ममय लेखा अधिकारी को लिल्लि गोटिस भेजकर अपने नामांकन को रदद कर सकता है। जमाकर्ता को ऐसे नोटिस के साथ या अलग से इस विनियम के उपवंधों के अनुसार नया नामांकन भेजना होगा ।

(5) जमाकर्रानामांकन पत्र में निम्नलिस्तिं उल्लेख कर सकना है:---

- (अ) किसी विनिर्दिल्ट नामजद को सम्बंध में, कि अमा-कर्ता की मृत्य से पूर्व नामजद की सन्य होने पर उसको दिया गया अधिकार नामांकन में उल्लिखित एसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को चला जाएगा, बशर्ते कि एमा अन्य व्यक्तियों को चला जाएगा, बशर्ते कि एमा अन्य व्यक्तियों को परिवार में अन्य सदस्य हों। जमाकर्ता जेने परिवार में अन्य सदस्य हों। जमाकर्ता जेने एरेसा अधिकार इस रुण्ड के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को देता ह⁴, तो वह प्रत्येक व्यक्ति को देये राषि का भाग इस सरह से विनिर्दिल्ट करणा कि नामजद को दी जाने वाली राषि पूरी-पूरी उनमें तंट जाए।
- (क) किनामांकन उसमें विनिर्टिष्ट किसी घटना के घटित होने की स्थिति में अवैध हो जाएगा:

बजत⁺ कि——

यदि नासांकन करले समय जमाकर्ता का परिवार न हरे तो यह नामांकन में उल्लेख करनेग कि बाद में उसके परिवार के हरे जाने पर यह नामांकन अवैक्ष हरे जाएगा :

परम्तु यह भी कि——

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता के परिवार में एक ही सदस्य है को नामांकन पत्र में यह उल्लेख करनेगा कि खण्ड (अ) के अन्तर्गत दसर नामजद को दिया गया अधिकार ढाद में उनके परिवार की सदस्य या सदस्यों के ही जाने पर अबैध हो जाएगा ?

(6) किसी नामजद, जिसके बारे में उप-विनियम-5 के सण्ड (क) को अन्तर्गल नामांकन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गरा हो, को मत्य के त्रन्त बाद या किसी घटना के घटने पर जिसके कारण उप-टिनियम-5 के सण्ड (स) या उसके उपबंधों के अन्सरण में नामांकन अवध हो जाता है, तो जमाकर्ता लेखा अन्सरण में नामांकन को रद्द करने के लिए लिखित नोटिस इस वितिएम के उपबंधों के अनसरण में नये किए गए नामांकन सन्ति, भेजेगा ।

(7) जमाकर्ता दुवारा किया गया प्रत्येक नामांकन और दिया गया प्रत्येक रवदकरण नीटिस, जब तक वैध रहोगा, उसी दिन से प्रभावी तोगा जिस दिन वह लेखा अधिकारी को प्राप्त होगा । 6. जमाकर्ण का लागा

्यत्येक जमाकर्ता के नाम से एक लेखा खोला जाएगा, जिसमें निम्न कितरण दिखाया जाएगा -

(1) जमाकर्ता का अंग्रदान;

- (2) विनियम-11 में उल्लिसितान्सार अंग्रदान पर व्याज;
- (3) निधि से लिया गए। अग्रिम तथा निकाली गढ़ राजि आदि ।

6--19 G1/90

अंज्ञवान की इति एवं दर

7. अंशवान की शतें

(1) जमाकर्ता उस अवधि जब वह निलिम्बित हो को छोड़कर प्रतिमास निधि में अंशदान करोगः

परन्त्

अमाकर्ता अपनी इच्छानुसार अपनी छुटुटी की अवधि के दौरान जिसमें किसी प्रकार का अवकाश वेतन प्राप्य न हो या अवकाश अतन, अर्थ-वेतन या अर्थ औसत वेतन के बराबर या उससे कम, प्राप्य हो, अंशदान न करे:

परम्त् यह भी कि----

यदि जमाकर्ता निलम्बन अवधिकी समाप्ति पर बहाल हो जाता है तो उसे यह विकल्प दिया जाएगा फि वह उस राणि, जो उस अवधि (निलम्बन अवधि) के लिए बये बकाया अंशदान की राजि से अधिक न हो, को एक मुद्द जमा करेया किस्तों में ।

(2) जमाकर्ता उप-विनियम (1) के प्रथम उपबंध में उल्लिखित अवकाश के दौरान निधि में अंशवान न करने के अपने चुनाव की निम्नानुसार सूचित करगा ।

(अ) यदि वह अपने वेतन बिलों का स्वयं आदान अधिकारी है, तो अयकाश पर जाने के बाद उसके प्रथम घेतन बिल से अंशवान की कटौती न करके;

(ब) यदि वह अपने वेतन बिलों का स्वयं आवान अधिकारी नहीं हैं, सो अवकाश पर जाने से पहले अपने कार्यलय अध्यक्ष को लिखिक सुचना द्वारा ।

उचित रूप से व समय पर सुचनान भोजने पर यह समझा आएगा कि जभाकर्ता अंदादान करना चाहता है।

त्रमाकर्त द्वाग इस उप-विनियम के अन्तर्गत दिये गए विकल्प की मुखना अन्तिम होगी ।

(3) जमाकर्ता जिसने विनियम-18 को अन्तर्गत निधि में उसके खाते में जमा राक्ति निकाल ली है, वह एँसी धन गिकासी के बाद, जब तक कि वह कार्य पर बापस नहीं आ जाता है निधि में जमा नहीं कररेगा ।

8 अंशदान की दर

(1) जमाकर्त द्वारा अंग्रेयान की राशी निम्नलिखित शर्तों क्षें अधीन रवयं नियक की जाएगी ।

(अ) इसको पूर्ण रूपयों में ही लिखा जाएगा;

(त) एंसी बताई गई कोई भी राशि जमाकर्ता की परि-लब्धियों के 6% से कम और परिलब्धियों मे अधिक नदी होनी घाहिए।

धरस्त् —

उस जमाकर्ता के सामले में जो इससे पूर्व बोर्ड के अंशाशणी भविष्य निधि से 8 1/3% की उच्च दर से अंशदान कर रहा हो, तो एसी बतार्ड गई कोई भी गशि। उसकी परिसाधियों के 8 1/3% से कम और उसकी करन परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी।

(स) जब बो का कर्मचारी 6% या 8 1/3% की न्यूनतम दर, जैसी भी स्थिति हो, से अंशदान करने का चुनाथ करता है से रूपये के अंश को उसके समीपतम पूर्ण रूपये में परिर्थातत कर दिया जाएगा, जैसे कि 50 पैसे को उससे उच्च रूपये में परि-वरिंतत कर विशा जाएगा।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के प्रयोजन के लिये जमाकर्ता की परिलक्षियां निम्नलिखित होंगी :---

(अ) उस जमाकर्ताको मामले मे जी पिछले वर्षकी 31 मार्च को बोर्डकी सेवा में था, वह परिलब्धियां जिलका कह उस तारीखको पात्र था:

अंशत⁺कि——

- (1) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख को अवकाश पर या और इस अवकाश को दौरान अंशदान न करने को चुना था या उक्त तारीख को निलम्बित था, तो उसकी परि-लन्धियां वह परिलब्धियां होगी जिनका वह ड्यूटी पर वापस आने थे पहले दिन पान था;
- (2) यदि जमाकर्ता उक्त तारीस को भारत से बाहर प्रति-नियुक्ति पर था या उस तारीस को छुट्टी पर था और छुट्टी पर ही चल रहा हो और एंसी छाट्टी के दौरान उसने अंधदान करने को चुना हो, तो उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां होंगी जिनका वह, यदि भारत में ही कार्यरत रहता, का पत्र होगा;

(अ) यदि वह गत-वर्षकी 31 मार्चको ड्यूटी पर या सो बोर्डको सेवा में नहीं था, वह परिलब्धियां जिनका वह उस बिल से उस महीने के लिये करवाना चाहता है;

(3) उभाकर्ता प्रत्येक वर्ष निम्न प्रकार से अपने अंधवान की रुपिश नियत करने की सुचना देगाः----

- (अ) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च को ड्यूटी पर था तो उस कटौती द्यारा जो वह इस सम्बंध में अपने वेतन बिल से उस महिने के लिये करवाना चाहता है;
- (ल) यदि यह गत-वर्ष की 31 मार्च को अवकाश पर था और एसे अवकाश के दौरान अंशवान न करने को चूना हो या उस दिन निलम्बित था, तो उस कटौती द्वारा जो वह इस सम्बंध में डयूटी पर लौटने पर अपने प्रथम वेतन बिल में करवाना चाहता है;
- (स) यदि वह वर्ष के दौरान बोर्ड की सेवा में पहली कार आया है, सी उस कटौरी द्वारा जो वह इस सम्बंध में, अपने उस महीने के वेतन किल से जिस महीने वह इस निधि का सदस्य बना है, करवाना चाहता है;
- (द) यदि गत-वर्ष की 31 मार्च को वह छुटूटी पर था और अब भी छुट्टी पर भल रहा हो और एसी छुट्टी के दौरान अंशदान करने को चुना हो तो उस कटाँती द्वारा जो वह इस सम्बंध में उस महीने के वेतन से करवारा चाहता है;
- (य) यदि यह गत-वर्ष की 31 मार्च को विद्योग सेवा में था तो उस राशि दवारा जो उसने चालू वर्ष के अप्रैन मास को लिये राष्ट्रींग राजधानी क्षेत्र योजना बोली निधि में अंगवान को कारण जमा की हो ।

(4) इस प्रकार से निगत की गई अंजवान की राशि---

(अ) वर्षक दौरान किसीं भी समय एक बार ही घटार्ण जाए; (ब) एक वर्षके दौरान दो बार ही बढ़ाई जाए;

या

(स) पूर्वीक्तानुसार घटाई-बढाई जाए---

किन्तू इस प्रकार घटाई गई अंशवान की राशि उप-धिनियम (1) में गिर्धारित न्यनतम राशि से कम नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि—-

यदि जमाकर्ता कर्लं डर मास के दौरान अंशतः डयुटी पर हो और अंशतः बिना बेतन अवकाश या अर्ध-केतन आवकाश या अर्थ औसत बेतन अवकाश पर हो तथा एसे अवकाश के दौरान असने अंशदान न करने को चूना हो, सी देये अंशदान की राशि उपरोक्त के अलाया यदि काई हो, अवकाश सहित ड्यूटी के दिनों के समानुपातिक होगी।

9. विवोज सेवा पर स्थानान्तरण या भारत से बाहर प्रतिनिधवितः

जब कोई जमाकर्ता विदोश सेवा में स्थानांतरित हो जाता है या प्रतिनिय्क्ति पर भारत से बाहर भेजा जाता है तब भी भविष्य चिधि के दिनियम उस पर उसी तरह लागु होंगे, यदि उसे दिखेश सेवा पर स्थानान्तरित नहीं किया जाता या प्रतिनियक्ति पर नहीं भेजा जाता ।

10. अंशवान की यसुली

(1) जब एरिलस्थियां कोर्ड की तिधि से भारत में या भारत से वाहर किसी प्राधिकृत संवितरण कार्यालय से ली जा रही हों तो अंशवान तथा अग्रिमों के मुलधन व क्याज की वस्ली जमाकर्षा की परिलब्धियों से की जाएगी ।

(2) जब परिलब्धियां किसी अन्य स्तोत से ली जा रहीं हों तो जमाकर्ता अपनी देंग राशि प्रतिमाह लेखा अधिकारी को भोजेगा:

परन्तुः

यदि जमाकर्ता केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित है, में प्रतिनिय्क्ति पर है, तो उसके मामृत्वे में अंद्रदान की वस्ती और उसका लेखा अधिकारी को अगप्रधण उस सरकार या निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(3) यदि जमाकर्ता उस दिन से, जिस दिन से वह इस निधि का सदम्य बना है. अंगदान करने में असफल रहता है या दिनियम-7 में किये उपवंध के अलावा, धर्ष के दौरान किसी महीने निधि में अंशदान करने में असफल रहता है तो निधि में अंशदान के बकाया के कारण देय करूल रकम विनियम-11 मैं उपबन्धित दर से उस पर व्याज सहित जमाकर्ता दवारा अविलम्ब निधि में जमा की जाएगी, एरेमा न करने पर लेखा अधिकारी उसकी परिलब्धियों से किस्तों या अन्यथा जैसा भी विनियम-12 के उप-विनियम (2) के अन्दर्गर विषये कारणों के लिए अधिम मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निवरेश है, कटौती द्वारा बसल करने का आदोश करेगा :

परम्तु

यदि जमाकर्ता, जिनकी निधि में जमा राषि पर क्याजं नहीं दिया जाता है, क्याज का भुगतान नहीं कररेंगे ।

11 ••••••

(1) उप-विनियम (5) को उपबन्धों के अधीन बोर्ड जमाकर्ता के खाते में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों को लिये निर्धारित परिकलन भद्र्धति को अनुसार प्रति वर्ष के लिये निधिचत की गई दर से ब्याज जमा करगा।

(2) ब्याज प्रत्यंक वर्ष के अन्तिम दिन से निम्न प्रकार से जमा किया जाएगा :----

- (1) पिछले धर्ष के अन्तिम दिन को जमाकर्ता के खाते म जमा राशि पर, उसमें से चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को कम करको, 12 महोनों के लिये ब्याज;
- (2) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर, चालू यथ के प्रारम्भ सं लेकर जिस माह राशि निकाली भई हो उससे पिछलं मास के अन्तिम दिन सक, ब्याज;
- (3) पिछले वर्ष के अन्तिम दिन के एडचास् अमाकर्ता के साक्षे में अमा कीव गई सभी राशियों पर, जमा करने को तारोस से चालू वर्ष की समाप्ति तक, ब्याज;
- (4) ब्याज की कुल राधिा निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्ण कर वी जाएगी (जैसे 0.50 पैसे को निकटतम उच्च-तर रुपयो गिना जाएगा :

परन्तु---

जब जमाकर्ता को खात में जमा राशि देय हो गई हो, तो उस पर इस विनियम के अन्तर्गत ब्याज, केवल चालू वर्ष के प्रारम्भ गा जमा करने की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, से लेकर उम तारीख तक जिस तारीख को उसके खाते में जमा राशि देय हो आती है, तक जमा किया जाएगा ।

(3) इस विनियम के प्रयोजन के लिए, परिलब्धियों से वसूलियां के मामले में, जमा करने की तारीख उस माह का प्रथम दिन माना जाएगा जिस माह वसूलियां की गई ही, और जमाकतां द्वारा अग्रप्रदित की गई रशियों के मामले उस माह की पहली तारोल जिस माह वह रशियां प्राप्त हो। मानी जाएगी, यदि यह रशियां लेखा अधिकारी को उस माह की पांचयीं तारोख से पहले. प्राप्त ह। जाती ही, लेकिन यदि यह रशियां उस माह की पांचवीं तारोख को या उसके पश्चात् प्राप्त होती ही सो अगले माह की पहली सारोख मानी जाएगी :

परन्तु--

जहां जमाकर्ता की वेतन या छाटूटी वेतन तथा भत्ते लेने में विलम्ब हुआ हो और परिणामस्वरूप निधि में उसके अंघदान की कसूली में भी विलम्ब हुआ हो, तो ऐसे अंशवान पर व्याज, इस बात का ध्यान रखे बिना कि येतन या अवकाश वेतन वास्टव में किस माह में लिया गया है, उस माह से देय होगा जिस माह में नियमों के अन्तर्गत जमाकर्ता का बेतन या अवकाश वेतन दये था।

परन्तु यह और कि——

विनियम-10 के उप-विनियम (2) को परन्तुक को अनुसार भेजी गई राशि को सामले में जमा करने की तारीख उस माह पहलो तारीख मानी जाएगी यदि वह राशि लेखा अधिकारी को उस मोह की 15 तारीख से पहले प्राप्त हो जाती है :

थरन्त् यह और कि──

जहां माह की परिलब्धियां उसो माह के अन्तिम कार्य दिवस को निकाली जाती है और वितरित की जाती है, तो जमा करने की तारीख, उसके अंशदान की वसूली के मामले में, अनुवर्ती माह की पहली तारीख मानी जाएगी ।

(4) विनियम-17, 18 था 19 के अन्तर्गल भुगतान को जानं वालो किसी भी राशि के अतिरिक्त राशि पर ब्याज उस माह जिस मं-भगतान किया जाता है के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक या जिस माह में एरेसी राशि दरेय हो गई हो उसके बाद छठे महीने के अन्त तक, इसमं से जो भी अवधि कम हो, उस व्यक्ति को दंय हुनेगा जिसको एसी राशि का भुगतान किया जाएगा :

परन्तू---

जहां लेखा अधिकारी ने उस व्यक्ति (या प्रतिनिधि) कां यह तारीख, जिस दिन वह नकद भुगतान करने को तैयार है, सूचित कर दी हो या उस व्यक्ति को भुगतान चैक डाक द्यारा भेज दिया हो, तो ज्माज का भुगतान एसी सूचित की गई या चैक डाक द्वारा भेजने की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, के पूर्ववती माह के अन्त तक किया जाएगा :

परन्तुयहभी कि——

जहां जमाकर्ता कोन्द्रीय/राज्य सरकार या कोन्द्रीय/राज्य सरकार द्रारा/नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अभिनिधम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायस्तशासी संगठन में प्रतिनिय्क्ति पर हो तथा बाद मे पूर्व दिनंक से एरेसी सरकार या निकाय या संगठन में समाहत हो जाए, तो निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा राशि पर देय ब्याज के शरिकलन के लिए, समाहृत के खाते में जमा राशि पर देय ब्याज के शरिकलन के लिए, समाहृत होने के आदेश जारी होने की तारीख़ को ही जमाकर्ता के खाते में जमा राशि के देय होने की तारीख़ इस शर्त के अधीन माना जाएगा कि समादृत होने की तारीख इस शर्त के अधीन माना जाएगा कि समादृत होने की तारीख से समाहृत होने के आदेश जारी होने को तारोख के दौरान अंशदान के रूप में वसूल की गई राशि इस उप-शिनियम के अन्तर्गत केवल ब्याज दीने की उद्वदेश के लिये ही निधि में अंशदान मानी जाएगी ।

- नाट : बकाया निधि पर छः महीने की अवधि के बाद क्याज का भुगतान——
 - (अ) एक वर्ष तक की अवधि को लिए लेखा आंभकारी द्वारा; और
 - (ब) लेखा अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किसी भी समयावधि तक;

स्वयं को इस बात से सन्तुष्ट करने के पश्चात कि भुगतान में विलम्ब जमाकर्ता या उस व्यक्ति जिसे एरेसा भुगतान किया जाना है कि नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण हुआ है, प्राधिकृत किया जाएगा और एसे प्रत्येक सामले में हुए प्रशासनिक विलम्ब की पूरी जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हो कार्यवाही की जाएगी ।

(5) यरि कोई जमाथतां लेखा अधिकारी को यह सूचित करता है कि वह ब्याज नहीं लेगा चाहता है तो उसके खात में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा; परन्तू—–यदि बाद में वह क्याज के लिये कहता है तो यह उस वर्ष, जिसमें वह इसके लिये कहता है, के प्रथम दिन से जमा किया जाएगा ।

(6) यदि गह पाया जाता है कि जमाकर्ता ने निकासी की तारोख को उसवो खाते में जमा धन से अधिक धन निकासा हु , तो जमा राशि से अधिक निकाली गई राशि, चाहे वह अग्रिम के रूप में निकाली गई हो या निकासी के रूप में निकाली गई हो या निधि से अस्तिम भुंगतान के रूप में निकाली गई हो, उस अमाकर्ता को एक मुक्त राशि मे ब्याज सहित वापस जमा करना होगा । ऐसा न करने पर इसकी वसूली जमाकर्ता को परिलब्धियों में से एक मुक्त कटौती ब्राया की जाएगी । योद बसूल की जाने वाली कुल राशि जमाकर्ता की परिलब्धियों के आधे से अधिक ही तो उसकी वसूली मासिक किस्तों में उसके वंतन अधिक ही तो उसकी वसूली मासिक किस्तों में उसके वंतन अर्धा से तब तक की जाएगी तब तक कि पूरी राशि ब्याज सहित बसूल नहीं हो जाती । इस उप-विनियम के लिये ब्याज, जो कि जमा राशि से अधिक निकाली गई राशि पर बसूल किया जाएगा, की दर उप-विनियम (1) में दिये अन्सार भविष्य निधि बक्षाया पर दी जाने वाली सामान्य ब्याज दर से 21/2% ज्यादा होगी अधि-निकासी पर बसल किया गया ब्याज बोर्ड के खाते में शीर्यक-''अन्य प्राप्तियां' में विशिष्ट उप-शीर्षक ''भविष्य निधि से अधि-निकासियों पर ब्याज' में जमा किया जाएगा ।

12. निधि से अग्रिम

(1) उपयुक्त मंजूरीदाता प्राधिकारी किसी भी जमाकर्त को अग्रिम जो पूरो रजपयों में होगा तथा तीन माह को वेतन या भविष्य निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा धन को आधे, इसमें जी भी कम हो, रो अधिक न हो, निम्नेलिखित एक या एक से अधिक उद्ददेश्यों के लिए मंजूर कर सकता है :----

- (अ) जमाकर्ता और उसके परिवार के सदस्य या उस पर वास्तविक आश्वित को बीमारी, प्रसवायस्था या अपंगता से संबंधित व्यय, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, का भूगतान करने के लिए;
- (ब) निम्न्लिखित मामलों में जमाकर्ता और उसके परिकार के किसी सदस्य या उस पर वास्तीवक आश्रित की उच्छ पिक्षा पर व्यय, जहां आध्यक हो यात्रा व्यय सहित, की पूर्ति करने के लिए; नामत:

मार्थ्यामक स्कूल स्तर के बाद भारत से बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यात्रसायिक या त्र्यापारिक शिक्षा के लिए; और

माध्यमिक स्कूल स्तर के पश्चात् भारत में किसी भी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी या अन्य तक-नीकी या विद्येषज्ञ पाठ्यकम के लिए; बशर्त कि अध्ययन का पाठ्यकम 3 वर्ष से कम न ही।

- (स) जमाकर्ता की हीसियत के अनुसार किसी आदरयक खर्च की अदायगी के लिए जो रोति-रिक्षाज के अनुसार सगाई, विवाह, अन्तिम संस्कार या अन्य समारोहों पर जसाकर्ता को खर्च करने पड़ते ह⁵;
- (a) जमाकर्ता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या के विरुद्ध चलाई गई कानूनी कार्यवाही का खर्चा चुकाने के लिय, इस मामले में उपलब्ध यह अग्रिम इसी प्रयोजन के लिए बीर्ड के किसी स्रोत से ग्राह्य अग्रिम क्षे अतिरिक्स होगा;
- (य) जहां जमाकर्ता अपने तथाकथित कार्यालय संबंधी कदा अ चरण के लिए आंच में अपने बचाव के लिए वकील करता ही, अपने बचाव के खर्चों के व्यय को बहन करने को लिय;

(र) प्लाट या अपनी रिहायस के लिए मकान या फ्लैंट बनाने या दिल्ली दिकास प्राधिकरण या राज्य आवास लोर्ड या आवास निर्माण सहकारी समिति द्यारा आबंटित प्लाट या फ्लैंट की कीमत अदा करने का खर्च बहुन करने के लिए ।

(1-क) अध्यक्ष दिशेष परिस्थितिनों से किसी जमाकर्ता को अग्रिम मंजूर कर सकना है यदि वह इस बात से संतूष्ट हो कि संबंधित अमाकर्ता की उप-विनियम (1) में बताए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों के लिए अग्रिम की आवश्यकता है।

(2) किसी भी जमाकर्ता के लिखित में चिपोर्ड कारणों के अलावा, किसी अन्य कारण के लिए उप-विनियम (1) में निर्धारित की गई सीमा से अधिक सा जड़ तक कि विछले किसी अग्रिम को अन्तिम किस्त वापस नहीं कर दो जाती है, कोई भी अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा ।

(3) जब उप-विनियम (2) के अन्तर्गत, किसी पूर्व अग्रिम की अन्तिम किस्त की वसूली किए बिना हो, अग्रिम मंजूर कर दिया आता है तो पूर्व अग्रिम की वसूल न की गई बकाया राशि को अब मंजूर किए गए अग्रिम में जोड़ दिया जाएगा तथा वसूली की किस्तों को समकित राशि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(4) अभिग्रम मंजूर करने के बाद, उन मामरों में जहां अन्तिम भूगतान के लिए आवेदन विचियम-29 को उप-विनिगम (3) के खण्ड-(11) के अन्तर्गत लेखा अधिकारी को भेजा क्या था, राशि लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी 1

नोट : इस विनियम के उद्दोध्य के लिए देतन में वेतन, मंहगाई भक्ता अहां ग्राह्य हो सम्मिलित होंगे

नोट : जमाकर्ता को दिनियम-1,12 को उप-विनियम (1) की मद (ब) के अन्तर्गत प्रत्येक छ: मास में एक नार अग्रिम उने की अनुमति दी जाएगी ।

13. अप्रिम की वस्ली

(1) जमाकर्ता में अग्रिम की बसूली उतनी हो बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी औसाकि मंजूरीदाता प्राधिकारी निदश द; परन्तु एरेसी किस्तों की संख्या, उब तक की जमाकर्ता स्वयं एरेन न चाहो, 12 से कम और 24 से अधिक नहीं होंनी चाहिए । विशेष मामलों में जहां विनियम-12 के उप-जिनियम (2) के अन्तर्गत अग्रिम की राशि जमाकर्ता के तीन मास के वेतन से अधिक हो, तो मंजूरीवाता प्राधिकारी एरेसी किस्तों की संख्या 24 से अधिक निर्धारित कर सकला है परन्तु किसी भी हालत में यह 36 से अधिक नहीं होंगी । जमाकर्ता अपनी इच्छानुसार एक मास में एक से अधिक किस्तों अदा कर सकता है । प्रत्येक किस्त पूरे रजपों में होगी । एसी किस्तों के निर्धारण के लिए, यदि आप-श्यक हो, अग्रिम की राशि घटाई-बढ़ाई जा सकती है ।

(2) बसूली उसी तरीके से की जाएगी जैसांकि विनियम-10 में अंघदान वसूली के लिए निर्धारित किया गया है और यह जिस माह अग्रिम लिया था उस माह के अनुवती माह के तंतन से आरम्भ होगी। जब जमाकर्ता निर्धाह अनुवान ले रहा हो या कर्लेंडर मास में दस दिन या उससे अधिक दिन की छुट्टी पर हो जिसमें या सो कोई अवकाश वेतन प्राप्य न हो या अवकाश बेतन अर्ध तेतन या अर्थ औसत वेतन को बराबर या उससे कम प्राप्य हो, जैसी भी स्थिति हो, जमसकर्ता की महमति के विना दस्ली नही की जाएगी। जमाकर्ता की लिखित प्रार्थना पर जमाकर्ता को मंजूर किए गए अग्रिम वेतन की बसूली के दौरान, बसूली मंजूरोदाता प्राधिकारी बुवारा स्थगित की आ सकती है।

1404

(3) यदि किसी जमाकर्ता को अग्रिम मंजूर किया गया है और वह उसके द्वारा ले लिया गया है और बाद मे वसुली पूरी होने से पहलं ही नामंजूर हो जाता है तो लिए गए अग्रिम की पूरी राशि या बकाया राशि जमाकर्ता द्वारा अविलम्ब निधि में वापस जमा की जाएगी, जिसके न करने ५र, उसकी परिलब्धिगों में से एक मुइत या मासिक किस्तों में जो 12 से अधिक न हों, जैसाकि विनियम-12 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विश्वेष कारण की लिए अग्रिम मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाए, कटौती द्वारा वसूल करने का लेखा अधिकारो द्वारा आदंश दिया आएगा ।

परन्तु—–

इस प्रकार के अग्रिम को नामंजूर करने से पहलं जमाकर्ता को यह अवसर दिया जाएगा कि वह इस सन्दरेश के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर मंजूरीदाता प्राधिकारी को लिखित में स्पष्ट करो कि अग्रिम की दसूली क्यों न आरम्भ की जाए और यदि जमाकर्ता उक्त 15 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तृत कर दोत ही तो उसे निर्णय हुंतु अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, और यदि जमावर्ता उक्त समय के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तृत नहीं- करता ही, तो अग्रिम की वसूली इस उप-नियम में निर्धारित अनुसार आरम्भ कर दो जाएगी 1

(4) इस विनियम के अन्तर्गत की गई वसूलियां और ही की आएंगी निधि में जमाकर्ता के सारे में जमा कर वी जाएगी।

14. अग्रिम का पलत प्रयोग

इन विनियमों में बताई गई किसी बात के होने पर भी, यवि मंजूरींदाता प्राधिकारी को इस बात का कई सन्देह हो जाता है कि विनियम-12 के अन्तर्गत निधि सं अग्रिम के रूप मे⁻ लिया गया धन मंजूरी किए गए प्रयोजन के अलावा किमी अन्द प्रयोजन पर खर्च किया ग्या है, सो वह अपने सन्दोह को करणों को जमा-कर्ता को सुचिन करोग और उससे एसी सुचना के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण मांगंगा कि क्या आंग्रम की राग्नि उसी प्रयोजन पर क्षर्भ की गई है जिसके लिए मंजूर की गई थीं। यदि संजूरोबाता प्राधिकारी, जमाकर्ता **व्**धारा उक्त 15 दिन के भीतर दिए गए स्पष्टी-करण से सन्तुष्ट नहीं होता है तो यह जमाकर्ता के इस अग्रिम की राशि को सुरन्त निधि में अमा करने का निदमा ुदेगा। एरेगान करने पर, चाहे जमाकर्ता अवकाक पर ही हो, मंजरीवाता प्राधिकारी उस की परिलग्धियों से एक मुझ्त कटौती करके वसल करने का आदंश देगा। यदि वसूल की जाने वाली कुल राशि जमाकर्ता के परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो वस्ली उसकी परिलब्धियों के अर्धाश से मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी अब तक की पूरी राशि वसूल नहीं हो जाती ।

15. निधि से धन को निकासी

(1) इसमें विनिर्विष्ट शर्तों के अधीन धन निकारी की मंजूरी विनियम-12 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विक्षेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा—

> (क) यह जमाकर्ता द्वारा 20 वर्ष को संवा पूर्ण करने (संवा व्यवधान की अवधि, यदि कोई हों, को मिला कर) के बाव या अवर्तन पर सेवा निवृत्त होने की तारीख से पहले 10 वर्ष की अवधि के भीतर, इनमों से जो भी पहले हो, निधि में जमाफर्ता के खाते में जस्क राषि में से निम्नलिखित में से किसी एक या

एक से अधिक कारणों के लिए मंजर की जाएगी, नामतः—--

- (अ) निम्मलिखित मामलों मॅं जमाकर्ता या उसके किसी बच्चे की उच्च शिक्षा, जहां आधश्यक हो साक्षा व्यय सहित, का व्यय धहन करन के लिए; जैसे :
 - (i) माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चार भारत से बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, अयवसागिक या व्यापारिक पाठ यक्रम के लिए; और
- ्रू(iⁱ) माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चात् भारह में किसी आय्धिज्ञान, इंजीनियरी या अन्य तकरीको या विश्वेषज्ञ पाठ्यकम के लिए;
- (त्र) जमाकर्ता या उसके पुत्रों या पुत्रियों, और उस पर वास्तव में आश्रित किसी अन्य महिला सम्बन्धी की सगाई/विवाह समारोह के व्यय क्षो वहन करने के लिए;
 - (स) जमाकर्ता और उसके परिवार के रादस्यों या उस पर थास्तव में आश्चित व्यक्ति की बीमारी, जहां आवस्यक हो यात्रा व्यय सहित, का व्यय बहन कंरर्स के लिए ।
- (ख) जमाकर्ता द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के आद (सेवा में व्यवधान की अवधि, याद कोई हो, को मिलकर) या अवर्तन पर संका निवृत होने की तारीख संपहले 10 वर्ष की अवधिक भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके खाते में जमा राशि हो निम्न-लिखित में से किसी एक या एक से अधिक प्रयोजनें के लिए मंजूर की जाएगी;नामत:
 - (अ) अपनी रिहायका को लिए गृह स्थल सहित उप्युक्त स्कान लेने या बनाने को लिए या बना-बनाया फ्लैंट लेने को लिए;
 - (ब) अपनी रिहायश को लिए उपयुक्त मकान लेने या बनाने के लिए या बना-बनागा फ्लैंट लेने को लिए स्पष्ट रूप में लिए गए ऋण की बकाया राशि को वापस करने के लिए;
 - (*) अपनी रिहायश को लिए मकान बनाने को लिए गृह-स्थल खरीदने को लिए या इस प्रयोजन को लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण की बकाया राशि को वापस करने के लिए;
 - (व) जमाकर्ता द्वारा पहले से उपयुक्त फ्लैंट या मकान के पूर्नीनर्माण या उसमें परिथर्धन-परिवर्तन करते के लिए;
 - (य) जमाकर्ता ख्वारा कार्य-स्थल को अतिरिक्त किमी अन्य अगह पर पैतृक मकान या बोर्ड से लिए गए ऋण की सहायता से बनाए गए मकान की सरम्मत या परिवर्धन-परिवर्त्तन या अनुरक्षण को लिए;

[भाग III---खण्ड 4

1406

 (र) उपर्युक्त खण्ड-(स) के अन्तर्गत लिए गए गृह-स्थल पर गृह निर्माण के लिए ।

- (ग) जमाकर्ता के संवा-निवृत्त होने की तारीख से पहले 6 महोने के भीतर निधि में उसके खाते में जमा रकम सं कूषि भूमि या व्यापार परिसर या दांनों उपार्णित करने के लिए मंजुर की जाएगी।
- (६) दित्तीय वर्ष के दौरान एक बार जमाकर्ता ख्वारा के ड के कर्कचारियों के लिए स्थपाथी वित्त ध्यवस्था एवं अक्षयान पर आधारित सामूहिक बीमा योजना में एक वर्ष में विए गए अंशवान की राशि के बराबर मंजर की जा सकती है।
- नोट 1 : जमाकर्ता, जिसने शहरो विकास मन्थालय या बोर्ड की गृह निर्माण उद्ददेश्य के लिए अग्निम योजना के अन्तर्गत अग्निम का लाभ उठाया है या उस बोर्ड के सोतों से इस इस संबंध म- कोई मदद दी गई है, वह सण्ड (ख) के उप-खण्ड (अ), (स), (द) और (र) के अन्तर्गत इनमे- दिनिदिष्ट उद्ददेश्यों के लिए और विनिय्म-16 के उप-विनियम (1) के उपदन्ध में विनिद्धिर सीमा तक उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत लिए गए ऋण की अदायगी के उद्ददेश्य के लिए भी अन्तिम निकासी की मंजूरो का पात्र है ।

यदि जमाकर्ती के पास पौतृक मकान है या अपने कार्य स्थल के अलावा किसी अन्य जगह पर बोर्ड मे ली गई ऋण सहायता र्स मकान बनाया है, तो वह अपने कार्य स्थल मे गृह-स्थल खरोंदने या दूसरा मकान दनाने या बना-बनाया मकान खरोदने के लिए खण्ड (ख) के उप-खण्ड (अ), (स) और (र) के अन्तर्गत अन्तिम निकासी के लिए पात्र होगा ।

- नोट 2 : खण्ड (ख) के उपखण्ड (अ), (य), (य) या (र) के अंत-गंत जमाकर्ता को निकासी की संजूरी उसके द्वारा बनाए जाने वाले मकान या किए जाने वाले परिवर्धन-परिवर्तन की, उस क्षेत्र जहां मकान-स्थल या मकान स्थित है की स्थानीय नगरपालिका द्वारा दिधि-वत् अनुमोषित, योजना प्रस्तुत किए जाने के बाव और केवल उन्हीं मामलों जहां योजना वास्तज्ञ में स्वीकृत करया ली गई है, दी जाएगी।
- नोट 3 : खण्ड (स) के उप-खण्ड (से) के अन्तर्गत मंजूर को गई निकासी को राशि जमाकर्ता के खाते में उप-खंड (अ) की अंतर्गत पिछली निकासी को राशि को कम करके आवेदन और पिछली निकासी की राशि को कम करके आवेदन की तारीख को बकाया राशि को तीन-चौथाई से अधिक नहीं होगी । फार्मूला जो अपनाया जाएगा : (उम तारीख को बकाया जमा + (जमा) दिवादास्पद मकान को लिए ली गई निकासी राशि – (घटा) पिछली निकासी (निकासियां) की राशि, का तीन-चौथाई।
- नोट 4 : संह (ग) के उप-इरंड (अ) या (व) के अंतर्गत निकाभी की मंजूरी उन फामलों में भी वी जाएगी अहां गृह,-स्थल या मकान जमाकर्ता की पत्नी या पति के नाम ही;

बबातें कि वह जमाकर्ता द्यारा सामान्य भविष्य निश्वि में जमा राशि को प्राप्त करने के लिए दिए गए नामां-कन में प्रथम नामित हो।

- केंट 5 : इस विगियम के अंतर्गत एक उद्देवरेय के लिए निकासी की मंजूरी एक बार हींंदी जाएगी। लेकिन **किभिन्न बच्चों की बादी या विक्षा** अथया विभिन्न अवसरों पर अस्वस्थता, সখৰা मकान या फ्लैंट में परिवर्धन-परिवर्तन जिसके उस क्षेत्र जहां मकान स्थित है की स्था-नीय नगरपालिका दुधारा अनुमोदित योजना प्रस्तुत की गई है, को एक ही उद्देश्य न्हों माना जाएगा। खंड (ख) के उप-खंड (अ) (र) के अंत-र्गत, एक ही मकान को पूर्ण करने के लिए दूसरी बार या उसकों बाद किसी निकासी की मंजूरी नोट-3 में निर्धारित सीमा तक ही दी जाएगी।
- नोट 6 : यदि विनियम-12 के अंतर्गत उसी उद्दरेश और उसी समय अग्रिम मंजूर किया जा रहा हो तो इस जिनि-यम के अंतर्गत निकाची की मंजूरी नहीं को जाएगी।

(2) जब जमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी को सामान्य भावण्य निधि में अपने खाते में जमा राशि के बारे में, हाल हो की सामान्य भविष्य निधि लेखा को उपलब्ध विवरणी से, बाद में जमा अंशदान के प्रमाण सहित, संतुष्ट करने की स्थिति में हो, तो सक्षम प्राधिकारी निर्धारित सीमाओं के भीसर, जापस किए जाने योग्य अग्निम की तरह ही, धन निकालने की मंजुरी 定 सकता है। एसा करते समय सक्षम प्राधिकारी जमाकर्ता को पहले मंजूर किए गए प्रत्यर्पणीय अग्रिम (refundable advar co)या भन-निकासी (witadraw1) को भी ध्यान में रखेगा । सथापि जहां जमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी को अपने खाते में जमा राणि के बारे में संतुष्ट करने की स्थिति में न हो या जहां आसंदित धन-गिकासी withdrawal applied िाकी ग्राह्यता के बारो में संदरेह हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवदित धन-निकासी की ग्राह्म्यता के निर्धारण के उद्ददेश्य से लेखा अधिकारी से जमाकर्ता के खाते में जमा राधि का प्रमाण मांगा जाएगा। धन-निकासी की मंजूरी मे संस्थतवा सामान्य भविष्य निधि लेखा संस्था तथा लेखे का हिसाब रखने वाले लेखा अधिकारी का विवरण दिया जाएगा तथा मंजुरी की प्रसि हमंशा उस लेखा अधिकारी को प्रेषित की आएगी। मंजुरीबाता प्राधिकारी की यह मुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि मंजूर की गई राशि को लेखा अधिकारी द्वारा जमा-कर्ताकी लेखा-बही में दर्ज कर लिया गया है। यदि लेखा अधि-कारी यह सूचित करता है कि मंजुर की गई राशि जगाकर्ता के खाते में जमा राशि से अधिक है या अन्यथा ग्राह्य नहीं ही, तो जमाकर्ता द्वारा निकाली गई राघि उसे तुरन्त एक मुझ्त निधि में वापस जमा करनी होगी और एंसा न करने पर, मंजुरी-दाता प्राधिकारी इस राशि को उसकी परिलब्धिगों से एक म<u>े</u>श्त या फिर उतनी मासिक किस्तों में जितनी अध्यक्ष दुवारा निर्धा-रित की जाए, में वर्णुन करने के आवांश दोगा।

(3) निकासी की मंजूरी के बाद, उन मामलों में जहां अंतिम भूगतान को लिए जावेदन विनियम-20 के उप-विनियम (3) के रूण्ड (2) के अन्तर्गत लेखा अधिकारी को प्रेषित किया गया हो, राहित लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर निकाली जाएगी ।

16. धन निकालने की शतें

(1) अमाकर्णा द्वारा विनिधम-15 में विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक प्रयोजनों को लिए किसी भी एक समय में निधि से उसके खाते में जमा धन से निकाली गई कोई भी राशि सामान्यता

- निधि में उस के खाते में जमा रकम के 1¹ या उसके छः महोने के बेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। फिर भी, मंजूरीदाता प्राधिकारी इस सीमा से अधिक, निधि में जमाकतों के खाते में बकाया रकम के ¹ तक की मंजूरी, निम्नांकित पर उधित ध्यान दते हुए, दो सकता है :--
 - (क) उद्देश्य जिसकी लिए राशि निकाली जा रही है,
 - (ख) जमाकर्ताकी हैमियत, और
 - (ग) निधि में जमाकर्ता के खात में जमा रकम :

परन्त्—

किसी भी मामले में, विनिश्म-15 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में विनिधिष्ट प्रयोजनें के लिए धन-निकासी की अधिकतम रकम निर्माण एवं आवास मंत्रालय या बोर्ड की गृह निर्माण उद्दरेख के लिए अग्रिम मंज्र किए जाने की योजना के नियम-2(ए) और 3(ब) के अंतर्गत सम्य-समय पर निर्धा-रित अधिकत्तम सीमा, में अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि----

उस अमाकर्ता के मामले में जिसने निर्माण एवं आवास मंत्रालय या बोर्ड की गृह निर्माण के लिए अग्रिम मंजूर करने की योजना का लाभ उठाया है या इस संबंध में बोर्ड के किसी अन्य सोत से 'कोर्ड सहापता मंजूरी की गई हो, तो इस उप-विनियम के अंत-गंत निकाली गई राशि, पूर्वीक्त योजना के अंतर्गत लिए गए अग्रिम या किसी अन्य बोर्ड के सोत से ली गई सहायता महित, पृत्रींक्त योजना के नियम 2(ए) और 3(बी) को अंतर्गत समय-समय एक निर्धा-रित सीमा से अधिक नहीं होगी।

(2) जिस जमाकर्ता का विनियम-15 के अंतर्गत निधि से 1न निकालने की अनुमति दी गई हो वह मंजूरीदाता प्राधिकारों को उपयुक्त समय, जो भी उस प्राधिकारी ब्वारा निर्धारित किया जाए, को अंवर इस तात से मंतृष्ट करोगा कि धन का उपयोग उस उद्ददेय के लिए ही किंगा गया है जिस उद्ददेय के लिए निकाला गया था और यदि वह एसा करने में असफल रहता है तो ऐसी निकाली गई सारी रकम या उसके उतनी ही अधिक जिसके लिए उस उद्ददेय के लिए आवेदन नहीं किया गए। हो, जिसके लिए वह निकाली गई थी, जमाकर्जी ब्वारा निधि में एक मुझ्त वाधम जमा की जाएगी और ऐसा न करने पर मंजरी-दाता पाधिकारी इस राधि को उसकी परिलब्धियों में से या तो एक मझ्श या उतनी किश्तों, जितनी अधाक्ष नियत करने, में वसल फरने के आदोश करना। :

परन्त्-----

इस उप-वितियम को अंदर्गन निकाली गई रका की अस्ली आरम्भ करने से गहले, जमाकर्ता को एमेंगे सूचना को प्राप्त होने को 1.5 दिन को भीतर लिखिल में यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि निकाली गई रक्षम को बसूली क्यों न की जाए; और यदि मंजरीकर्सा प्राधि-कारी जमाकर्ता के स्पष्टीकरण से संतुष्ट न हो या जमाध्यती दयारा जवत 1.5 दिन को भीतर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो मंज्रीकर्ता प्राधिकारी इस उप-विनियम, में निर्धारित अनुसार वसुली प्रारम्भ कर देगा । (3) (अ) जिस जमाकर्ता को विनियम-15 को उप-थिस्थिम (1) को खंड (ख) को उप-खंड (अ) या (ब) या (स) के अंतर्गत, निधि में उसके खासे में जमा राशि में से धन निकालने की अनुमति दी गई हो, सो एसी निकाली गई राशि से बनाए गए या उपाजिन किए गए मकान या खर्रीदे गए गृह-थल का कब्जा चाहे बिक्री, रोहन (बोर्ट को पक्ष में रॉहन करने के अलावा), उपहार, अवला-बदली या अन्यथा द्वारा अध्यक्ष की पूर्वान्सति को विना नहीं छोड़ेगा :

> परन्त ए`सी अनमति निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं होगी—–

- (क) मकान या मकान-स्थल, जो किसी अर्थाध के लिग्गुजो तीन वर्ष से अधिक नहीं हो, पट्ट पर दिया जा रहा हो;
- (ख) यह आवास बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम या बज्न्द्रीय सरकार दृशारा स्वामित्व या नियंत्रित किसी अन्य निकाय, जो नए स्कान को निर्माण या वर्तमान सकान में परिवर्भन एवं परिवर्तन को लिए ऋण अग्रिम दोती हो, को पक्ष में रोहन किया जा रहा हो ।
- (ब) जमाकर्ता प्रत्येक दर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करोगा कि सकान या मकान-स्थल, जैसा भी मामला हो, उसके कच्छे में ही है या पुर्वोक्तानुसार रहेन किया है, अन्यथा अंतरित किया है या किराया पर दिखा है और यदि एसा कहा जाए, तो मंजूरीकर्ता प्राधिकारों को उस प्राधि-कारी द्वारा इस संबंध में निर्धारित तारीख करे या उससे पहले मूल दिक्ती, रहेन या पट्टा पत्र और ये कागजात भी जिसमें उसका संपत्ति पर अधिकार आधारित है, पेग करेगा।
- (स) यदि, अपनी सेवा-निवृति के पूर्व किसी भी समग, जमाकर्ता मकान या सकान की जगह को अध्यक्ष की पूर्वानुमति को बिरा छोडे दतेता है तो वहु उस उद्ददेख के लिये लिए गए धन को निधि में न्रस्त एक मुद्रत कार्य जमा करगा, और एसा न करने पर मंजूरी-कर्ता प्राधिकारी जमाकर्ता को मामले से अभ्यावेदन करने के लिए उपयुक्त अवसर दने के बाद, उक्त रकम को जमाकर्ता की परिलब्धियों में मे एक मुद्रत या उतनी मासिक किद्यतों में, जिसनी वह प्राविकारी निर्धारित कर, वसल करवाएगा।

16 क. अग्रिम को निकासी धन में बदलना

जिस, ज्याकर्ता ने विनियम-12 के अंतर्गत विनथम-15 के जप-विनियम (1) में निर्धिष्ट प्रयोजनों के लिए अग्रिम लिया है या जो भविष्य में ले, वह अपनी इच्छान्सार, धिनियम-15 और विनियम-16 में वी गई शतीं से संतप्ट होने पर, मंजूरी-कर्ता प्राभिष्कारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित अन्-रोध करके, इसमें बकाया रक्तम को अंतिम रूप से धन निकालने में रूपाल्टरिस कर सकता है।

17. निधि में जगा राशि का अनन्तिम शौर पर वायम लेना

जो जमाकर्श नौकरी छोड़ोग को निधि में उसके खात में असे रकम उसे भगतान करने योग्य हो जाएगी : परन्तु---

जिस जमाकर्ता को नौकरी से निकाल दिया गया हो और बाद में उसे बहाल कर दिशा जाता है. यदि बॉर्ड एसा चाहे, तो वह इस नियम के अनुसरण में निधि मे भुगतान की गई राशि को, विनियम-11 में दी रई बर से, विनियम-18 के उपबंध की व्यवस्थाओं के अनु-सार, ब्याज सहित निधि में धापस जमा करेगा । इस प्रकार बापस की गई रकम को निधि में उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा।

- म्पष्टीकरण 1 : जमाकर्ता, जिसे मना की गई छाटटो मंजूर की जाती है, को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तारीख से या बढ़ाई गई सेवावधि की समाप्ति पर सेवा से मक्षत समझा जाएगा।
- स्पष्टीकरण 2 ः जमाकर्ता, अनुबंध पर नियुक्त या जो सेवा-निवृत्त हो गया हो और बाद में सेवा में बिना किसी व्यवधान या व्यवधान सहित पन-नियोजित हुआ हो के अलाता, को स्पेता से मुक्त नहीं समझा जाएगा।
 - नोट : स्थानान्तरण में, केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग या राज्य सरकार में बिना किसी व्यवधान और बोर्ड को उचित अन्मति से नियुक्ति स्वीकार करने के उद्ददेश्य से दिए गए स्थाग-पत्र के सासले भी शामिल होंगे। उन सामलों में जहां सेवा में व्यवधान हो तो वह विभिन्न स्थानों पर स्थानान्तरण के लिए स्वीकार्य प्रवभाग ग्रहण समय तक सी मित किया जाएगा।

यही स्पष्टीकरण छंटनी के बाद अविलंब नियोजन के भामलों में भी उपयुक्त रहेगा।

स्पष्टीकरण 3 : जब किसी जमाकर्ता, जो अनूबंध पर नियुधम हो या जो सेवा-निवृत्त हो गया हो और बाद में पुनर्नियोजित हुआ हो के अलावा, को सेवा में बिना व्यवधान को केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वा-मित्व या नियंत्रित निकाय या समिति पंजी-करण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत स्थायत्तज्ञासी संगठन में स्थानान्तरित किया जाता है, तो अंधदान की रक्षम उस पर ब्याज सहित, जमाकर्ता को भगरान नहीं की जाएगी बल्कि उस सरकार/निकाय की सहमति से उस सरकार/निकाय में जमाकर्ता के नए भविष्य निधिखातेमें अंतरित कर वी जाएगी। स्थानान्तरण में केन्द्रीय∕राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार बुवारा स्वामित्व/नियं-जिस निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकस स्वायत्तभासी शंगठन में बिना किमी व्यवधान और बोर्ड की उचित अनम्ति से नियुक्तििस स्तीकार करने होत् दिए गए त्याग-पत्र के मामले भी शामिल होंगे। नए भव पर पदभार ग्रहण करने के लिए लिया गण समय, यदि यह बोर्ड के कर्मचारियां को एक पद से दुसरे पद पर स्थानान्तरण को लिए स्वीकार्य पदभार ग्रहण समय से अधिक सहों है, तो सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा।

परन्तू--

उस जमाकर्ता जो सार्वजनिक उद्यम में सेवा की इच्छा व्यक्त करता है, के अंग्रेदान की रागि उस पर ब्याज सहित, यदि वह ऐसा चाहता है, उस उद्यम में उसके नये भविष्य निधि खाते में अन्तरित कर दी आएगी यदि वह उद्यम इसके लिए महमत हो। यदि जमाकर्ता इस धनराशि का अन्तरण नहीं करना चाहता है या सम्बंधित उद्यम में किसी भविष्य निधि का संचालक नही है, तो पूर्योक्त रागि का भगतान जमाकर्ता को किया जाएगा ।

18. जमाकर्ताको सेवा-निवृत्ति

जब जमाकर्ताः ----

- (अ) सेवा निवृत्ति से पूर्व छुट्टी पर चला गया हो;
- (ब) जब छुट्टी पर हो, सेवा-निवृत्ति की अनुमति दो दी गई हो या सक्षम चिकित्सा अधिकारी ब्वारा आगे नौंकरो करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो;

तो निधि में उसके खाते में जमा राघि जमाकर्ता को, उसके द्वारा इस सम्बंध में आवदेत , जो कि लेखा अधिकारी को दिया गंगा हो, करने पर भगतान हो जाएगी :

परन्तू---

बोर्ड अन्यथा निर्णय ले लेता है के सिवाय. उसे इस बोर्ड अन्यथा निर्णय ले लेता है के सिवाय, उसे इस विनियम के अनुसरण में भूगतान की गई रकम को विनियम-11 में व्यवस्थित दर से उस पर व्याज सहित नकद या प्रतिभूतियों में या अंदातः नकद और अंदातः प्रति-भूतियों में, किस्तों द्वारा या अन्यथा उसकी परिलब्धियों में से दसूली द्वारा या अन्यथा, जैसा भी विनियम-12 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्निम मंजूरीकर्ता सक्षम प्राधिकारी निददेश दर्र, निथि में उसके स्राते में जमा करने के लिए वापस जमा करनी होगी ।

19. जमाकर्ता की मृत्य पर कार्य-प्रणाली

जमावर्ता के खाते में जमा रकम के देय हो जाने या जहां रकम देय हो गई हो, भूगतान किए जाने से पहले ही जमाकर्ता की मुत्य हो जाने की अवस्था में – –

- (1) जब जमाकर्ता का कोई परिवार हो---
 - (अ) यदि नामांकन जमाकर्ता द्वारा विनियम-5 रा इसके पहले प्रचलित अनुरूप विनियम को व्यवस्थाओं के अनुसार अपने परिवार के सदस्य ग सवस्यों को हित में नामांकन किया गया हो, तो निधि में उसके खाते में जमा रकम या उसका हिस्सा जिससे नामांकन सम्बन्धित हौ, नामांकन में दिखाए गए अन्पात के अन्सार उसके मनोनीत या मनोनीतों को देये हो जाएगी;
 - (ब) यदि जमाकर्ता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के हित में एसा कोई नामांकन नहीं है या यदि एसा नामांकन निधि में उसके खाते में जमा रकम के किमी अंश से ही सम्बनित है, हो सारी रकम या उसका अंश जिससे नामांकन

सम्बन्धित नहीं हैं, जैसी भी स्थिति हो, कोर्डभी नामांकन उसके परियार के सदस्य या सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्तियां व्यक्तियों के हित में होते हुए भी, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर हिस्सों में देय होगी :

परन्तु निम्नांकित को कोई हिस्सा वेथ नहीं होगा :---

- (1) उसके पुत्र जो व्यस्क हो गए ह⁵;
- (2) उसके मृतक पत्र के प्त्रों को जो व्यस्क हो गए हाँ;
- (3) विवाहित प्त्रियां जिनके पति जीवित हों;
- (4) उसके मृतक पूत्र को विवाहित प्त्रियां जिनके पति जीवित हो;

यदि उसके परिवार में खण्ड (1), (2), (3) और (4) में विस्ताए गए सवस्यों के अलावा कोई अन्य सवस्य हैं:

परन्त यह भी कि ----

मृतक पत्र की विधवा या विधवाय और अच्या या संख्य केवल उस भाग को बराबर हिस्सों में प्राप्त करोगे, जिस भाग को वह एवं, रुदि वह जीवित रहता और प्रथम उपबंभ के अनुच्छदे (1) की व्यवस्थाओं से मुक्त होता, जमाकर्ता में प्राप्त करता।

> जव जमाकर्ता का परिवार नहीं हो और यदि उसने नामांकन विनियम-5 या इसके पहले प्रचलिस अनुरूप विनियम की व्यवस्थाओं के अनसार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हिस में किया हो, तो निधि में उसके खाते मे जमा रकम या उसका अंश जिसमे नामांकन सम्बधित हो, नामांकन में विखाय गए अनुपास में उसके नामजद या नामजदों को देय हो जाएगी।

19-क. जमा सम्बद्ध बीमा योजना

जमाकर्ता की 30 सिल्म्बर, 1991 को या उससे पहले मृत्य् हो जाने की स्थिति में और जिस पर विनियम 19-ख लागू नहीं होता हो, उसके खाते में जमा धन को प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति को लेखा अधिकारी एसे जमाकर्ता की मृत्यू से तुरन्त पूर्व तीन वर्ष के दौरान उसके लाते में बकाया औसत राशि के बराबर अति-रिक्त राशि का भूगतान निम्नसिसित शर्ती के अधीन करेगा---

> (अ) एसे जसाकर्ता के खाते में बकाया रकम उसकी मृत्य के मास से पूर्व 3 धर्ष के वरिान किसी भी समय निम्न सीमाओं से कम न हुई हो—–

> > रु. 4,000/-, उस जमाकर्ता के सामले में जो उक्स 3 वर्ष की अवधि के वौरान अधिकतर समय के लिए ऐसे पद पर रहा हो जिसका बेतेन-मान अधिकतम रु. 1300/- या अधिक हो;

- (⁽ⁱ⁾) रु. 2500/-, उस जमाकर्सा के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अविधि के दौरान अधिकतर समय के लिये एंसे पद पर रहा हो जिसका वेतन-मान अधिकतम रु. 900/- या अधिक हो परन्तु रु. 1300/- से कम हो;
- (iii) रु. 1500/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि को धौरान अधिकतर

समय एरेसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 291/- या अधिक परन्तु रु. 900/- संकम हो;

- (iv) रु. 1000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय एरेसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 291/- से कम हो;
- (ब) इस विनियम के अन्तर्गत देय राशि 10,000/- से अधिक नहीं होगी ।
- (स) जमाकर्ता ने मृत्यू के समय कम-से-कम 5 वर्ष की सेवा की हो ।
- 19-ख. जमा सम्बद्ध बीमा संगोधित योजना

जमाकर्ता की मृत्यू पर लेखा अधिकारी के खाने में जमा राशि को प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति को एसे जमाकर्ता की मृत्यू से तुरन्त पूर्व 3 वर्ष के दौरान उसके खाने में औरत बकाया रक्तम के बराबर अतिरिक्त का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन करणेगा—

- (अ) एमें जमाकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु के मास से पर्व 3 वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया निम्न सीमाओं में कम न रहा हो----
 - (i) रु. 12,000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिए ऐसे पद पर रहा हो जिसका बेलनमान अधिकतम रु. 4000/- या अधिक हो;
 - (ii) क. 7500/- उस अंसाकर्ता के मामले में जो उक्षत 3 वर्ष की अवधि के धौरान अधिकतर समय के लिये एसे पद पर रहा हो जिसका वेतन-मान अधिकतम रु. 2900/- या अधिक हो परन्तु 4000/- से कम हो;
- (iii) रु. 4500/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिये ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतन-मान अधिकतम रु. 1151/- या अधिक हो परन्तु रु. 2900/- से कम हो;
- (i^V) रु. 3000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्स 3 दर्ष की अवधि के दौराना अधिकतर समय एसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 1151/- से कम हो।
- (ब) इस विनियम के अन्तर्गत देये अतिरिक्त राशि 30.000/- से अधिक नहीं होगी।
- (स) जमाकर्ता ने मृत्यु के समय कम-से-कम 5 वर्ष की सेवा की हो ।
- नोट--1 : औसत बकाया का हिसाब जमाकर्ता के खाते में उसकी मृत्यू के मास से पूर्व प्रत्येक 36 मासों के अन्त मैं बकाया के आधार पर किया जाएगा । इस उद्ददेय

को लिये, उपर्युक्स निर्धारित न्यूनतम अकाया राशि की जांच को लिए भी —

- (अ) मार्च के अन्स में बकाया राशि में विनियम-9 की शतों के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी शामिल होगा, और
- (ब) यदि पूर्वोक्स 36 मांसों का अन्सिम सास मार्च नहीं होता है तो उक्त 36 मांसों के अन्तिम मांस के अन्त में बकाया राषि में, उस विसीय वर्ष, जिसमें मृत्य होती है, के प्रारम्भ से लेकर उक्स अन्तिम मांस के अन्त तक की अवधि के लिए ब्याज भी शामिल होगा ।
- नोट---2: इस योजना के अन्तर्गत भुगतान पूर्ण रुपयों में ही होगा। यदि देय राधि में रुपये का अंध भी शामिल है तो उसे निकटतम पूर्ण रुपये में परिवर्तित कर दिया जाएगा (और 0.50 पैसे को अगला उच्चतर रुपया गिना जाएगा)।
- नोट--3 : इस योजना के अन्तर्गत दये कोई भी राषि बीमा धन के खरूप की हो और इसलिये भविष्य निधि अधि-नियम, 1925 (1925 का अंधिनियाम 19) की धारा-3 के द्वारा दी गई वैधानिक सुरक्षा इस योजना के अन्तर्गत दी गई रकमों पर लागू नहीं होती है ।
- नोटे----4 : यह योजेना निधि के उन जमाकर्ताओं पर भी लाग् होती है जो किसा सरकारी विभाग के स्वायत्तवासी संगठन में रूपान्तरण के परिणामस्वरूप उसमें स्थानान्त-रित हो जाते है और एसे स्थानान्सरण पर उनको विये गए विकल्पों की वातों के अनुसार इन नियमों के अनु-सार निधि में अंघादान करने का विकल्प दोसे हैं।
- नोट---5: लोर्ड के उसं कर्मचारी के मामले में, जो विनियम-21 के अन्सर्गन इस निधि का संदस्य बना हो लेकिन 3 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई हो या जैसी भी स्थिति हो, उसके निधि का सदस्य बनने की तारीख से 5 कर्ष की सेवा अवधि, पूर्व नियोक्ता के अधीन उसकी सेवावधि जिसके लिए उसके अंग्रदान और नियोक्ता के अंग्रदान की राग्नि, यदि कोई हो, ब्याज सहित प्राप्त हो गई है, अनुष्छ्येद (अ) और (स) के लिये गिनी जाएगी।
 - (ब) सावधि आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के सामले में और पूर्नानियुक्त पेंशन भोगियों के सामले में एरेसी नियुक्ति या पूर्ननियुक्ति की तारीख से की गई सेवावधि, जैसी भी स्थिति हो, इस नियम के उद्दब्य के लिये गिनी जाएगीं।
 - (स) अन्बन्ध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर यह योजना लाग् नहीं होंगी है।
- नोट---6 ः इस योजना के सम्बन्ध में बजट अनुमान निधि लेखा के अनुरक्षण के लिये उसरदायी लेखा अधिकारी दवारा व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार नैयार किया जाएगा जैसा कि अन्य निवृत्ति लाभों के लिए अनुमान तैयार किये जाते हैं।

20. निधि में रकम के भुगतान का तरीका

(1) जय निधि मैं जमाकर्ता के खाते में जमा रकम देये हो जाती हुनै, तो लेखा अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि उप विनियम (3) की व्यवस्थाओं के अनुसार लिखित आवदेत-पत्र की प्राप्ति पर भगतान करों।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसको इन विनियमों के अधीन किसी रुकम का भुगतान करना है, पागल है और उसकी सम्परिस के लिये भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन इसके लिये प्रबन्धक की नियुक्ति की गई हो तो भुगतान प्रबन्धक को किया जाएगा न कि पागल व्यक्ति को :

परन्तु---

जहां प्रबन्धक नियुक्त नहीं है और जिस व्यक्ति को रकम वरे हैं उसे मैजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित कर दिया जाता है, तो भुगतान जिसाधीश के आवशेष पर भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा-95 की उप-धारा (1) की शतों के अनुसार उस व्यक्ति को किया जाएगा जो पागल के लिए भारित है और लेखा अधिकार जितनी रकम उस व्यक्ति जो पागल के लिये भारित है, को देना उपयुक्त समभ्ठे, भुगतान करेगा और अधिशेष राषि यदि कोई हो या उसका कोई भाग जैसा भी वह उपयुक्त सम्भ्रे, पागल के परिवार के सदस्यों को जो उस पर आश्वित है, के निर्वाह होत देगा।

(3) रकम का भुगतान कवल भारत में ही किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को रकमें धेय हो वह भुगतान को भारत में प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रबन्ध कर्रगे। जमाकर्ता द्वारा भुगतान के दावे के लिये निम्मलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी, नामत :

- (1) कार्यालय अध्यक्ष प्रत्येक जमाकर्ता को निधि में उसके खाते में जमा रकम को निकालने के लिये आवरेन करने को लिये या तो जमाकर्ता की संवा निवृत्ति की आय होने के एक वर्ष पूर्व या उसकी सेवा निवृत्ति की अपेक्षित तारीख से पहले, यदि पहले हो, आवश्यक आवदेन-प्रपत्र भेजेगा जिससे यह हिदायतें होंगी कि जमाकर्ता इन प्रपत्रों को प्राप्त करने की तारीख से एक महीने के भीतर विधिवत् भर कर उसे वापस भेज दें। जमाकर्ता कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को निधि में उसके खाते में जमा रकम के भुगतान के लिए आवदेन प्रस्तुत करनेगा। आवरेन निम्मांकित के लिए किया जाएगा—
 - (अ) निधि में उसके खाते में जमा धन, जो उसकी मेवा निवृत्ति की तारीख या मेवा निवत्ति की अपेक्षित तारीख के एक वर्ष पूर्व समाप्त हुए वर्ष की लेखा-विवरण में दिखाया गया है, के लिये; या
 - (ब) यदि जमाकर्ता को लेखा-विवरण प्राप्त न हाआ हो तो उस सामले में उसके बही-खासा में अंकित रकम के लिये।
- (2) कार्यालय अध्यक्ष आवेदन-पत्र को, जमाकर्ता तवारा लिये गए अग्निमों, जो अभी विद्यमान हैं, के प्रति को गर्ड वस्लियों सथा उसकी किस्तों की संख्या जो अभी वस्ल की जानी हैं का उल्लेख करके और जमा-कर्ता दवारा लेखा अधिकारी दवारा जारी पिछली विवरणी के बाद निकाले गए धन, यदि कोई हो,

का भी उल्लेख करके, लेखा अधिकारी को अग्रप्रेषित करगा।

- (3) लेखा अधिकारी, बही खाला से सत्यापन करने के बाद, आवदेन-पत्र में उल्लिखित रकम के भूगतान के लिए सेवा निवृत्ति की आयु होने से कम-से-कम एक महीना पहले प्राधिकार जारी करेगा किन्तु यह रकम सेवा-निवृत्ति की तारीख को ही भुगतान योग्य होगी।
- (4) अनुच्छदे-3 में वर्णित प्राधिकार भूगतान की पहली किस्त के लिये होगा। इस उद्ददेय के लिये दूसरा प्राधिकार सेवा-निवृत्ति के बाद यथा-शीथ, जारी किया जाएगा। यह जमाकर्ता के द्वारा अनुच्छदे (1) के अभ्तर्गत किये गये आवंदन में वर्णित रकम के बाद किये गए अंझवान तथा उन अग्रिमों, जो पहले आवंदन-पत्र के समय चालू थे, के प्रति वापिस की गई किस्तों से संबंधित होगा।
- (5) अन्तिम भुगतान को लिये लेखा अधिकारी को आवदेन-पत्र अग्रप्रेषित करने के बाद, अग्रिम/धन निकासी मंजूर को जा सकेगी लेकिन राशि संबंधित लेखा अधिकारी, जो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी से औपचारिक मंजूरी प्राप्त होने पर, तुरन्त इसका प्रबन्ध करेगा, के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी।
- 21 निधि में संचित राशि का स्थानान्तरण

किसी व्यक्ति का केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्थामित्व/नियंत्रित निकाय था समिति पंजीकरण अधि-नियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्थायरत्तशासी संगठन के अधीन सेवा से बोर्ड की सेवा में स्थानान्तरण पर कार्य-विधि :

यदि बोर्ड का कोई कर्मचारी जो इस निधि का सदस्य बनने सं पहले केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व/नियंत्रित निकाय था समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन के किसी भविष्य निधि का अंशवासा था तो उसके अंशवान और उस नियोक्ता के अंशदान की राशि, यदि कोई हो, उस पर व्याज सहित, उस सरकार/निकाय/संगठन को सहमति से इस निधि में अन्सरित कर दी जाएगी।

22. अंशवायी भविष्य निधि (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) मे राशि का अन्तरण

यदि इस निधि का कोई जमाकर्ता बाद में अंघदायी भविष्य निधि (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) का सदस्य बन जाता है तो उसके अंधदान को राधि उस पर ब्याज सहित अंघदायी भविष्य निधि (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) में उसके बाते में अन्सरित कर दी जाएगी।

विनियमों में शिथिलता

23. व्यक्तिगत मामलों में विनियमों के प्रावधानों में शिथिलता बनेग

जब अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि इन विनियमों के किसी प्रावधान का प्रचलन जमाकर्ता को अनुचित कठिनाई पहुंचाता है या पहुंचाने की सम्भावना है, तो वह इन विनियमों में अन्यथा होते हुए भी, एसे जमाकर्ता के मामले को इस प्रकार से निपटाएगा जो उसे उचित्त और न्यायसंगत लगे।

24 कार्यविधि विनियम

(1) अंशवान के भुगतान के समय लेखा संख्या उद्धृत करना

जब जमाकर्सा भारत में अंशवान का भुगतान या तो परिलक्तिभयों संकटौती द्वारा या नकद कर रहा हो तो उस समय वह निभि में अपना लेखा संख्या, जो लेखा अधिकारी द्वारा उसे सूचित को जाएगी, उद्धृत करोगा। इसी प्रेकार लेखा अधिकारी खेखा सच्या में किसी परिवर्तन को भी सुचित करोगा।

25. जमाकर्ता को लेखे की वार्षिक विवरणी देना

(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद जितना जल्दी सम्भव हो लंखा अधिकारी प्रत्येक जमाकर्ता को निधि में उसके लेखे का विवरण प्रेषित करेगा जिसमे वर्ष की एक अप्रैल को भारम्भिक शेप, वर्ष के दौरान कुल जमा की गई रकम या निकाली गई रकम, वर्ष के दौरान कुल जमा की गई रकम या निकाली गई रकम, वर्ष के दौरान कुल जमा की कुल जमा रकम और उस तारीख तक अन्तिम शेष दिखाया जाएगा। लेखा अधिकारी लेखा विवरणी के साथ यह पूछताछ संलग्न करेगा कि क्या जमाकर्ता--

- (अ) विनियम-5 के अन्तर्गत या इसके पहले प्रचलित अनुरूप विनियम के अन्तर्गत दिये गये किसी नामांकन मे किसी परिवर्तन करने की इच्छा रखता है;
- (ब) ने परिवार अर्जित कर लिया ह⁶, उन मामलों में जहां जमाकर्ता ने विनियम-5 को उप-विनियम (1) को उपबंध को अन्तर्गत नामांकन अपने परिवार को सदस्म को पक्ष में न दिया हो।

(2) जमाकर्ता को वार्षिक विवरणी की विश्वुद्धता से स्वयं को सम्तुष्ट कर लेना चाहिये और यदि कोई त्रुटि हो तो विवरण प्राप्त करने के तीन महीने के अन्दर लेखा अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिये।

(3) जमाकर्ता यदि चाहेगा तो लेखा अधिकारी, वर्ष में केवल एक बार ही, जमाकर्ता को उस माह जिसके लिये उसका खाता लिख दिया गया हो के अन्त में निधि में उसके खाते में कजूल जमा रकम की सुचना देगा।

26. व्याख्याः यदि इन विनियमों की व्याख्या से संबंधित कोर्ड प्रक्त उठता है तो उसे बोर्ड के पास भेजा जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

27. निधियों का प्रशासन : निधि का प्रशासन सदस्य स**चिव** द्वारा किया जाएगा।

28. निधि का निवेश : निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रतिमान पर और प्रतिभूतियों में किया जाएगा।

29. केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम 1960 के परिवर्धन/स्पष्टकिरण में अपने कर्मचारियों के संबंध में जारी किये गए सभी निर्णय एवं आदेश आवश्यक परिवर्तन सहिंह इस बोर्ड के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सरकार) नियम, 1960 में अपने कर्मचारियों के लिये समय-समय पर किये गए संशोधन/परिशोधन/परिवर्धन आवश्यक परिवर्तन सहिंत इस बोर्ड के कर्मचारियों पर लाग होंगे।

30. इन विनियमों में कोई भी संशोधन/परिवर्तन विस्त भंगालय/पैशन एवं पैंशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्क्ष से किया जाएगा। अनुसूची [विनियम 5 (3)]

नामांकन–पन्न

| नामित (तों) का नाम जमाकर्ता के नामित की (नामित (तों) व व पूरा पता साथ सम्बन्ध आयु देय भाग | ो घटना जिसके घटने पर नामांकन अवैध हो जाएगा | • • • • | यदि नामि त ज मा- कर्ता के षरि वार का सदस् य व हीं है जैसा कि वि नियम 2 में परिभाषित है,तो उम कारणों का उल्लेख करें |
|--|--|---------|--|
|--|--|---------|--|

| विनांकः | तारीखमास | स्थान |
|------------------------------|---|--|
| | | जमाकर्ता के हस्ताक्षर |
| दो साक्षियों य नाम ब पूरा | • | हस्ताक्षर |
| | | |
| | ध्यक्ष/बित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रयोग हेतु स्था | |
| • | पवनामं । प्राप्ति की तारीख | |
| | | कार्यालय अध्यक्ष/वित्त एवं लेखा अधिकारी के हस्ताझर |
| | | पदनाम तारीख |

जमाकर्ताको लिए निर्वोश——

- (अ) अपना नाम भरा जाए।
- (ब) निभिकानाम उचित रूप से पुराकिया जाए।
- (स) शब्द ''परिवार'' की परिभाषा जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1990 में दी गई है पुनः प्रस्तुत की जासी है।

''परिवार'' से अभिप्राय :-----

(1) पुरुष जमाकर्ता के मामले में, जमाकर्ता की परनी, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनों, और जमाकर्ता के मृतक पुत्र की विधवा तथा बच्चे, तथा जहां जमाकर्ता के माता-पिता जी विस नहीं हैं पैतक दादा-दादी :

बगते कि—

यदि जमाकर्ता यह सिद्ध कर दता है कि उसकी पत्नी न्यायिक तौर से उससे अलग हो गई है या सम्प्रदाय जिससे वह संबंधित है की प्रथा अनुसार निर्वाह भत्ता की पत्रता से वंजित हो गई है, तो उन मामलों के लिये जिनमें यह विन्यिम लागू होते हो, उसे जमाकर्ता के परिवार की सदस्य नहीं समभा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में लेखा अधिकारी को लिखित में सूचित नहीं करता है कि उसे उसके परिवार की सदस्य ही समभा जाए।

(2) महिला जमाकर्ता के मामले भें, उसका पति, माता-पिता, बर्मचे, नाबालिंग भाई, अविवाहिस बहनें, उसके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे, और जहां

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF FINANCIAL COMPANIES

CENTRAL OFFICE

Calcutta-700 001, the 1st February 1990

No. DFC. 58/ED(T)-90.—In exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977 and Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions 1977 shall with immediate effect be amended in the following manner, namely :—

1. In the First Schedule to the respective Directions 1977

(a) In Part-1

for the existing item 9, the following shall be substituted, namely :---

"Of the total deposits at item 6 above, those free of interest and bearing interest (excluding brokerage if any)*

| | Code No. |
|-----------------------------------|----------|
| (i) Free of interest | 151 |
| (ii) Below 6% | 152 |
| (iii) 6% or more but less than 9% | 153 |
| (iv) 9% or more but less than 11% | 154 |

जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं हैं, पैतृक दावा-दावी:

बगते"कि—–

यदि जमाकर्ता लेखा अधिकारों को लिखित नोटिस व्वारा अपने पति को अपने परिवार की सदस्यता से बाहर रखने की इच्छा व्यक्त करती है, तो उसे उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लागू होते हैं. परिवार का सदस्य नहीं समभा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में इस प्रकार के नोटिस को लिखित में रखद नहीं कर देती है।

- नोट : -----अच्चे से अभिप्राय न्यायोचित अच्चे से है और इसमें गोद लिया गया बच्डा भी सम्मिलित है जहां पर यदि वैयक्तिक कानून, जिससे जमाकर्ता प्रशासित है, वुवारा मान्य हो।
 - (द) यदि एक ही व्यक्ति नामित है तो कालम 4 में नामित के सामने शब्द ''पूरा'' लिखा जाना चाहिए। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित जाते हैं , ते भविष्य निधि में जमा राशि में से प्रत्येक नामित को देये हिस्सा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
 - (य) कालम 5 में नामित की मृत्यु को आकस्मिकता घटना के तौर पर उल्लेख नहीं करना चाहिए।
 - (र) कालम 6 में अपने नाम का उल्लेख न करो।
 - (ल) नामांकन में अन्तिम प्रविष्टी के नीचे तिरछी रचा खींच द ताकि आपके द्वारा हस्ताक्षर कर देने के बाद इसमें और को प्रविष्टी न कर सके।

कृष्ण कुमार भटनागर सदस्य सचिव

| (v) 11% or more but less than 13% | 155 |
|--|-----|
| (vi) 13% or more but less than 14% | 156 |
| (vii) at 14% | 157 |
| (viii) More than 14% | 158 |
| 'Fotal 9 (i to viii) should tally with item 6 above. | |

- (b) In Part-2
- (i) for the existing item 2, the following shall be substituted, namely :--

Code No.

| "2. Money received | | 202 |
|--|-----------------------|---------|
| foreign Government other authority (see | or any also note 3 | below)" |

(ii) for the existing item 4, the following shall be substituted, namely :---

Code No.

"4. Money received from any other company not being a company incorporated outside India."

(iii) In note 3, all the items 3 to 5 appearing after the words 'Foreign Authority' shall be deleted.